एग्रीबिज़नेस विकास के लिए उद्यम पूंजी सहायता योजना दिशा निर्देश

बारहवीं योजना (2012–2017)

OPERATIONAL GUIDELINES
VENTURE CAPITAL
ASSISTANCE SCHEME

FOR AGRIBUSINESS DEVELOPMENT XIIth Plan (2012–2017)



# AGRIBUSINESS DEVELOPMENT THROUGH VENTURE CAPITAL ASSISTANCE AND PROJECT DEVELOPMENT FACILITY

# 1. INTRODUCTION

- 1.1 Farming is the single largest private sector economic activity in the country. The growth potential in this key sector is immense in view of the changes taking place in food consumption and there is growing demand for high value processed products. Successes in such endeavors will require innovations and partnerships. Private agribusiness provide first point market for the farm sector and growth depends principally on private initiatives. A significant portion of agribusiness activity is the result of small and medium enterprises. Such enterprises are necessarily widespread in location to capture opportunities that arise all along the farm to table supply chain. Key constraints that impede development of new agribusiness projects are access to information and access to credit. Agribusiness entrepreneurs are generally first generation who have business skills but their financial resources are limited for setting up units at the farm gate with backward linkages. In order to facilitate agribusiness development in the country SFAC venture capital scheme will:
  - (a) Assist agripreneurs to make investments in setting up agribusiness projects through financial participation, and
  - (b) Provide financial support for preparation of bankable Detailed Project Reports (DPRs) through Project Development Facility (PDF).



# उद्यम पूंजी सहायता तथा परियोजना विकास सुविधा के माध्यम से कृषि व्यापार विकास

# 1. परिचय

- 1.1 देश में खेती सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की आर्थिक गितविधि है। अनाज की खपत में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस प्रमुख क्षेत्र में विकास की असीम संभावना है तथा उच्च मूल्य के संसाधित उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इन प्रयासों की सफलता के लिए नवोन्वेषण और साझेदारी की आवश्यकता रहती है। निजी कृषि व्यापार कृषि क्षेत्र के लिए प्राथमिक बाजार सुलभ कराता है तथा सिद्धांत: इन क्षेत्रों में विकास निजी पहलों पर निर्भर करता है। लघु व मध्यम उद्यमों का कृषि व्यापार क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। खेतों से उपभोग तक की आपूर्ति श्रृखला में ये उद्यम सभी जगहों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। नई कृषि व्यापार परियोजनाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा सूचनाएं प्राप्त करना तथा ऋण की उपलब्धता है। सामान्यत: कृषि-व्यापार उद्यमी पहली पीढ़ी होती है जिनके पास व्यापार की कुशलता तो है किंतु उनके वित्तीय संसाधन सीमित हैं। अत: एसएफएसी (SFAC) देश में कृषि व्यापार विकास को सुचारू बनाने के लिए निम्न कार्य करेंगी:
  - (क) वित्तीय सहभागिता के माध्यम से कृषि-उद्यमियों को कृषि व्यापार परियोजनाएं लगाने में निवेश करने में सहायता पहुँचाना, तथा
  - (ख) पिरयोजना विकास सुविधा (पीडीएफ) के माध्यम से बैंकों में प्रस्तुत करने योग्य विस्तृत पिरयोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता सुलभ कराना।

#### 2. OBJECTIVES

- 2.1 The main objectives of the Scheme are:
  - (a) To facilitate setting up of agribusiness ventures in close association with all Notified Financial Institutions notified by the Reserve Bank of India where the ownership of the Central/State Government is more than 50% such as Nationalized banks, SBI & its subsidiaries, IDBI, SIDBI, NABARD, NCDC, NEDFi, Exim Bank, RRBs & State Financial Corporations.
  - (b) To catalyze private investment in setting up of agribusiness projects and thereby providing assured market to producers for increasing rural income & employment.
  - (c) To strengthen backward linkages of agribusiness projects with producers.
  - (d) To assist farmers, producer groups, and agriculture graduates to enhance their participation in value chain through Project Development Facility.
  - (e) To arrange training and visits, etc. of agripreneurs in setting up identified agribusiness projects.
  - (f) To augment and strengthen existing set up of State and Central SFAC.

#### 3. SALIENT FEATURES OF THE SCHEME

## 3.1 Venture Capital Assistance

SFAC would provide Venture Capital to qualifying projects on the recommendations of the Notified Financial Institution financing the project. This venture capital will be repayable back to SFAC after the repayment of term loan of lending Notified Financial Institution as per original repayment schedule or earlier.

- 3.1.1 SFAC would provide venture capital to agribusiness projects by way of soft loan to supplement the financial gap worked out by the sanctioning authority of term loan under Means of Finance with respect to cost of project subject to the fulfillment of the following conditions:
  - (a) Qualifying projects under Venture Capital:
    - (i) Project should be in agriculture or allied sector or related to agricultural services. Poultry and dairy projects will also be covered under the Scheme.
    - (ii) Project should provide assured market to farmers/producer groups.
    - (iii) Project should encourage farmers to diversify into high value crops, to increase farm incomes.
    - (iv) Project should be accepted by Notified Financial Institution for grant of term loan.
  - (b) The quantum of SFAC Venture Capital Assistance will depend on the project cost and will be the lowest of the following:
    - ♦ 26% of the promoter's equity
    - ♦ ₹50.00 lakhs.

Provided that for projects located in North-Eastern Region, Hilly States (Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir) and in all cases in any part of the country where the project is promoted by a registered Farmer Producers Organisation, the quantum of venture capital will be the lowest of the following:

- ♦ 40% of the promoter's equity
- ◆ ₹50.00 lakhs.

# 2. उद्देश्य

- 2.1 योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
  - (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित ऐसे सभी अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं जिनमें केंद्र/राज्य सरकार का 50 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व है जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंक, एसबीआई और इसके सहायक बैंक, आईडीबीआई, सिडबी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एनईडीएफआई, एक्जिम बैंक, आरआरबी तथा राज्य वित्तीय निगम इत्यादि के साथ नजदीकी सहयोग से कृषि व्यापार उद्यमों की स्थापना में सुविधा प्रदान करना।
  - (ख) कृषि व्यापार परियोजनाओं की स्थापना में निजी निवेश को प्रेरित करना तथा उसके द्वारा ग्रामीण आय व रोजगार बढ़ाने के लिए उत्पादकों को निश्चित बाजार उपलब्ध कराना।
  - (ग) उत्पादकों (कृषकों) के साथ कृषि व्यापार परियोजनाओं के पश्च-संपर्क को मजबूत करना।
  - (घ) किसानों, उत्पादक समूहों तथा कृषि स्नातकों को परियोजना विकास सुविधा के माध्यम से कृषि व्यापार में उनकी सहभागिता को बढ़ाने मे सहायता करना।
  - (ङ) निर्धारित कृषि परियोजनाओं की स्थापना करने वाले कृषि व्यापारियों के प्रशिक्षण तथा भ्रमण का प्रबंध करना।
  - (च) राज्य एवं केन्द्रीय एसएफएसी के मौजूदा तंत्र को बढ़ाना एवं मजबूत करना।

# 3. योजना की मुख्य विशेषताएं

# 3.1 उद्यम पूंजी सहायता

परियोजना को वित्त प्रदान करने वाली अधिसूचित वित्तीय संस्था की सिफारिशों के आधार पर एसएफएसी, सफल परियोजनाओं को उद्यम पूंजी सुलभ कराएगी। यह उद्यम पूंजी, वित्तीय सहायता करने वाली अधिसूचित वित्तीय संस्था के सावधिक ऋण को मूल अनुसूची के अनुसार या उससे पहले वापसी के बाद, एसएफएसी को वापस लौटायी जानी है।

- 3.1.1 एसएफएसी निम्नांकित शर्तों को पूरा करने पर परियोजना लागत के सापेक्ष वित्तीय स्रोतों से उपलब्ध धन में कमी को पूरा करने के लिए आसान ऋण के रूप में कृषि व्यापार परियोजनाओं को उद्यम पूंजी सुलभ कराएगा:
  - (क) अहर्तता प्राप्त परियोजनाओं के अधीन उद्यम पूंजी:
    - (i) परियोजना कृषि या उससे जुड़े क्षेत्रों या कृषि सेवाओं से संबंधित क्षेत्र में होनी चाहिए। किन्तु मुर्गी पालन तथा दुग्ध परियोजनाएं भी इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित होगी।
    - (ii) परियोजना में कृषकों/उत्पादक समूहों के लिए निश्चित बाजार की व्यवस्था हो।
    - (iii) परियोजना से कृषकों को उनकी कृषि आय बढ़ाने के लिए उच्च मूल्य की फसलों की ओर बढावा मिलना चाहिए।
    - (iv) परियोजना, सावधिक ऋण प्राप्ति के लिए अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृत होनी चाहिए।
  - (ख) एसएफएसी उद्यम पूंजी सहायता की मात्रा परियोजना लागत पर निर्भर करेगी तथा निम्नानुसार न्यूनतम होगी:
    - प्रमोटर (प्रवर्तक) की इिक्विटी का 26 प्रतिशत
    - ₹50.00 लाख

पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड) में कृषि व्यापार परियोजनाओं तथा अन्य सभी मामलों में देश के किसी अन्य भाग में जहां परियोजना का प्रवर्तन किसी पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन द्वारा किया जाएगा उद्यम पूंजी की राशि निम्नानुसार न्यूनतम होगी:

- प्रमोटर (प्रवर्तक) की इिक्वटी का 40 प्रतिशत
- ₹50.00 लाख

The cost of proposed agribusiness project would have to be ₹15 lakh & above, subject to a maximum of ₹500 lakh. However, projects valuing ₹10 lakh and above, proposed to be located in backward districts as notified by Planning Commission, hilly and North-Eastern States could also be considered for PDF and VCA.

- (c) The Executive Committee of SFAC will have the power to consider projects for higher Venture Capital Assistance provided:
  - 1. Provision for higher VCA has been appraised and approved by sanctioning authority of term loan subject to maximum of ₹3.00 Crore.
  - 2. Total cost of the project not more than ₹10.00 Crore.
  - Projects are located in the North Eastern Region (NER) and other difficult pre-identified districts declared backward by Planning Commission's Backward Regions Grant Fund Scheme.
- Beneficiary will submit the project proposal in the form of DPR to area lending Notified Financial Institution.
- (e) On receipt of project proposal, Notified Financial Institution will appraise, assess and sanction requisite amount of term loan/working capital required by the beneficiary for execution of the project.
- (f) Notified Financial Institution will also work out the amount of Venture Capital, as per criteria laid down at para 3.1.1. (a, b & c) and communicate it to SFAC with its recommendation.
- (g) SFAC will make said amount available to the recommending Notified Financial Institution on case to case basis for disbursement to the beneficiary either in lump sum or in stages, as may be considered appropriate by the Notified Financial Institution.
- (h) Term Loan/working capital and loan amount from SFAC as Venture Capital will be extended to the beneficiary through a single-window by the project financing Notified Financial Institution.
- (i) Due date for refund of VCA to SFAC and end date of term loan as per original repayment schedule fixed by the bank at the time of sanction of term loan remains the same e.g. in case bank fixes end date of its term loan as 31.03.2020 then VCA will also be due for refund on the same date i.e. 31.03.2020.
- (j) In case the borrower is unable to repay the Venture Capital amount in lump sum immediately after repayment of bank's term loan, he/she will have the option to repay the entire amount of VCA together with accrued amount of interest in 4 quarterly instalments within a year from original due date. The rate of interest in this regard will be the same as charged by the lending bank on its term loan.
- (k) During the pendency of loan, the Notified Financial Institution will have charge over the primary/collateral securities (including FDR) available with the beneficiary and the said securities will not be released by bank to beneficiary or other institutions till full refund of VCA to SFAC.
- (I) The Notified Financial Institution will provide SFAC with full details of the terms and conditions under which the term loan is sanctioned including a copy of process/appraisal note duly signed by sanctioning authority of term loan and repayment schedule fixed for the term loan.
- (m) The Notified Financial Institution will also keep SFAC posted of the progress in implementation of the project and repayment of its term loan from time to time and its performance on yearly basis after the project becomes operational.
- (n) The funds received from SFAC will be kept in a separate account by the Notified Financial Institution and released to promoters for the project implementation, as and when required.
- (o) Agribusiness promoters may also avail Venture Capital Assistance for second time after refund of first Venture Capital Assistance as per original schedule. However, second time VCA will be for creation of additional capacity in the same activity or for a different activity.

प्रस्तावित कृषि व्यापार परियोजना की लागत ₹15 लाख से अधिक तथा अधिकतम ₹500 लाख तक होगी। तथापि, ₹10 लाख या इससे अधिक मूल्य की परियोजनाओं को जो कि योजना आयोग, पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों में स्थित हों पर भी पीडीएफ तथा वीसीए के लिए विचार किया जा सकता है।

- (ग) एसएफएसी की कार्यकारी सिमिति के पास निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार अधिक उद्यम पुंजी सहायता के लिए परियोजनाओं पर विचार करने का अधिकार होगा:
  - अधिक वीसीए के लिए प्रावधान को मियादी ऋण (टर्म लोन) स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसका मूल्यांकन और अनुमोदन किया हो और इसकी अधिकतम राशि ₹3.00 करोड़ के भीतर हो।
  - 2. परियोजना की कुल लागत ₹10.00 करोड से अधिक न हो।
  - परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में स्थित हो तथा योजना आयोग के पिछड़े क्षेत्र अनुदान फंड योजना द्वारा इस क्षेत्र को अन्य पूर्व-चिन्हांकित असुगम जिला घोषित किया गया हो।
- (घ) कृषि उद्यमी अपनी परियोजना के प्रस्ताव को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के रूप में अपने क्षेत्र के अधिसूचित वित्तीय संस्था के सम्मुख प्रस्तुत करेंगें।
- (ङ) परियोजना प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद अधिसूचित वित्तीय संस्था परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वांछित सावधिक ऋण/कार्यगत पूंजी की आवेदित राशि का मूल्यांकन, विश्लेषण तथा स्वीकृत करेंगें।
- (च) अधिसूचित वित्तीय संस्था पैरा 3.1.1 (क, ख और ग) में वर्णित मापदंडों के अनुसार, उद्यम पूंजी की राशि भी तय करेगा तथा इसके बारे में अपनी सिफारिशों सहित एसएफएसी को अवगत कराएगा।
- (छ) एसएफएसी सम्बन्धित परियोजना में सिफारिश करने वाले अधिसूचित वित्तीय संस्था को राशि उपलब्ध कराएगा। अधिसूचित वित्तीय संस्था यह राशि उद्यमी को एक मुश्त या किस्त में, जैसा उचित समझे, वितरित करेगा।
- (ज) उद्यम पूंजी के रूप में सावधिक ऋण/कार्यगत पूंजी तथा ऋण की राशि परियोजना को वित्त-पोषण करने वाले अधिसूचित वित्तीय संस्था से ही एकल-खिड़की की रीति से उद्यमी को दी जाएगी।
- (झ) वेंचर कैपिटल सहायता (वीसीए) की एसएफएसी को वापसी की देय तिथि तथा मियादी-ऋण की मंजूरी के समय बैंक द्वारा निर्धारित मूल पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार मियादी-ऋण की अंतिम तिथि समान रहती है उदाहरण के लिए बैंक ने यदि 31-03-2020 को अपने मियादी-ऋण की अंतिम तारीख निर्धारित की है तो वीसीए की वापसी भी उसी तारीख अर्थात 31-03-2020 को देय होगी।
- (ञ) यदि बैंक के मियादी-ऋण के पुनर्भुगतान के तुरंत पश्चात कर्जदार एकमुश्त वेंचर कैपिटल राशि चुकाने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में उसके पास मूल देय तिथि के एक वर्ष के भीतर 4 तिमाही किस्तों में अर्जित व्याज की राशि सहित वीसीए की पूरी राशि चुकाने का विकल्प होगा। इस बारे में व्याज की दर वही होगी जो कि ऋणदाता बैंक द्वारा मियादी-ऋण के लिए ब्याज की दर निर्धारित की गई है।
- (ट) ऋण के लंबित रहने के दौरान लाभार्थी के पास उपलब्ध प्राथमिक/ऋणाधार प्रतिभूतियों (एफडीआर सिंहत) पर अधिसूचित वित्तीय संस्था का अधिकार होगा तथा वीसीए की एसएफएसी को पूरी राशि की वापसी तक इन प्रतिभूतियों (सिक्युरिटीज) को लाभार्थी या अन्य किसी संस्था के नाम पर जारी नहीं किया जा सकेगा।
- (ठ) अधिसूचित वित्तीय संस्था टर्म लोन (मियादी ऋण) स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रक्रिया/मूल्यांकन नोट की एक प्रति तथा मियादी ऋण के पुनर्भुगतान की समय-सारिणी सहित उन शर्तों और दशाओं का जिनके अधीन यह मियादी ऋण स्वीकृत की गयी है का पूर्ण विवरण एसएफएसी को देगी।
- (ड) अधिसूचित वित्तीय संस्थान एसएफएसी को समय-समय पर परियोजना के कार्यन्वयन की प्रगति व अपने सावधिक ऋण के पूर्वभुगतान की स्थिति तथा परियोजनाओं के चालू हो जाने के बाद वार्षिक आधार पर इसके कार्यनिष्पादन के बारे में भी अवगत कराते रहेंगे।
- (ढ) अधिसूचित वित्तीय संस्था एसएफएसी से प्राप्त धनराशि का एक अलग खाता रखेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तकों को इसमें से राशि जारी करेगा।

## 3.2 Project Development Facility

- (a) SFAC will provide financial support to farmers, Producer Groups, Agripreneurs, Units in Agri-Export Zones, and Agriculture graduates (called beneficiary) in the preparation of bankable Detailed Project Reports (DPR) through empanelled consultants/ institutions. SFAC will provide for the cost of preparation of DPR depending upon the financial status of the agripreneur, size, location, activity and coverage on a case to case basis.
- (b) The beneficiary desirous of seeking assistance for preparation of DPR can approach the nearest empanelled consultant of the district in consultation with Notified Financial Institution along with the details /pre-feasibility of the proposed project for the recommendation of the Notified Financial Institution or SFAC at the State or Central level.
- (c) The Notified Financial Institution on being satisfied about the feasibility of the intending project will recommend it to SFAC for providing financial assistance for the preparation of DPR. Intending projects must be over ₹15 lakhs (₹10 lakhs in projects located in backward district of States notified by Planning Commission, North Eastern States and other hilly States i.e. H.P., J&K and Uttarakhand) in size.
- (d) Based on the activity and location of the project, SFAC will entrust preparation of DPR to one of the consultants on its panel.
- (e) SFAC will release cost of DPR preparation to the empanelled consultant.
- (f) The schedule of fee payable to empanelled consultants under Venture Capital Assistance Scheme for Agribusiness Development is summarized below:

Category-I: (Project size between ₹10.00 lakh to ₹25.00 lakh)

Total fee: ₹25000.00 (Rupees Twenty Five Thousand Only).

Category-II : (Project size above ₹25.00 lakh and upto ₹ 1.00 Crore)

Total fee: ₹50000.00 (Rupees Fifty Thousand Only).

**Category-III:** (Project size above ₹1.00 Crore and upto ₹3.00 Crore)

Total fee: ₹75000.00 (Rupees Seventy Five Thousand Only).

Category-IV: (Project size above ₹3.00 Crore and upto ₹5.00 Crore),

Total fee: ₹100000.00 (Rupees One Lakh Only).

**Terms of payment of all Categories:** The fee will be paid to empanelled consultants in three stages:

- (i) 20% after submission of DPR and other documents to the bank.
- (ii) 40% after sanction of term loan by Notified Financial Institution with provision of VCA.
- (iii) 40% after sanction and disbursement of VCA by SFAC.
- (g) The DPR received from SFAC or directly from the consultant will be examined in detail by the lending Notified Financial Institution for sanction of term loan and release of venture capital. A copy of the term loan sanction advice to the borrower will also be addressed to SFAC for its record.
- (h) Financial assistance to State SFACs for undertaking promotional activities for agribusiness development, training and visits etc. of entrepreneurs setting up the identified Agribusiness projects will also be provided under PDF.
- (i) Project Development Facility may be utilized to engage the services of State SFACs, State Agricultural Universities and others and/or any other competent agency/firm/ consultant to vigorously publicize the benefits of the Venture Capital Scheme to prospective entrepreneurs and producer organizations.

(ण) मूल अनुसूची के अनुसार उद्यम पूंजी सहायता की पहली किश्त के पुनर्भुगतान के पश्चात कृषि व्यापार प्रवर्तक दूसरी बार के लिए उद्यम पूंजी सहायता का लाभ ले सकते हैं। हालांकि, दूसरी बार यह वीसीए उसी क्रियाकलाप में अतिरिक्त क्षमता के निर्माण या किसी अन्य गतिविधि के लिए होगा।

# 3.2 परियोजना विकास सुविधा

- (क) एसएफएसी सूचीबद्ध परामर्शदाताओं/संस्थाओं के माध्यम से बैंक में प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार कराने में कृषकों, उत्पादक समूहों, कृषि उद्यमियों, कृषि-निर्यात क्षेत्रों में इकाइयों, तथा कृषि स्नातक (जिन्हें लाभभोगी कहा गया है) को वित्तीय सहायता सुलभ कराएगा। डीपीआर तैयार करने की लागत एसएफएसी सुलभ कराएगी तथा यह प्रत्येक मामले के अनुसार कृषि उद्यमियों की वित्तीय स्थिति, आकार, अवस्थिति गतिविधि तथा इसके विस्तार पर निर्भर करेगी।
- (ख) डीपीआर तैयार करने में सहायता के इच्छुक लाभार्थी अधिसूचित वित्तीय संस्था या राज्य अथवा केन्द्रीय स्तर पर एसएफएसी की अनुशंसा हेतु प्रस्तावित परियोजना के पूर्ण विवरण/पूर्व व्यवहार्यता सिंहत अधिसूचित वित्तीय संस्था के परामर्श से जिले के नजदीकी पैनल सलाहकार से विमर्श कर सकते हैं।
- (ग) इच्छुक परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में संतुष्ट होने पर अधिसूचित वित्तीय संस्था, डीपीआर को तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु इसे एसएफएसी को भेजेगी। इच्छुक परियोजना आकार में ₹15 लाख (योजना आयोग, पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य पर्वतीय राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों में स्थित परियोजनाओं के लिए ₹10 लाख) तक होनी चाहिए।
- (घ) परियोजना की गतिविधि तथा स्थिति के आधार पर, एसएफएसी अपने परामर्शकों में से किसी एक को डीपीआर तैयार करने का कार्य देगा।
- (ङ) एसएफएसी डीपीआर तैयार करने की लागत परामर्शक को अवमुक्त करेगा।
- (च) कृषि व्यापार विकास के लिए वेंचर कैपिटल सहायता योजना के तहत पैनल में शामिल सलाहकारों को देय शुल्क की अनुसूची संक्षेप में निम्न हैं:

श्रेणी-|: (₹10.00 लाख से ₹25.00 लाख तक की परियोजना के लिए)

कुल शुल्क: ₹25,000.00 (रूपए पच्चीस हजार मात्र)।

**श्रेणी-II:** (₹25.00 लाख से अधिक तथा ₹1.00 करोड़ तक की परियोजना के लिए)

कुल शुल्क: ₹50,000.00 (रूपए पचास हजार मात्र)।

श्रेणी-III: (₹1.00 करोड़ से अधिक तथा ₹3.00 करोड़ तक की परियोजना के लिए) कुल शुल्क: ₹75,000.00 (रूपए पचहत्तर हजार मात्र)।

श्रेणी-IV: (₹3.00 करोड़ से अधिक और ₹5.00 करोड़ तक की परियोजना के लिए) कुल शुल्क: ₹100,000.00 (एक लाख रूपए केवल मात्र)।

सभी श्रेणियों को भुगतान की शर्ते: पैनल सलाहकार को शुल्क तीन चरणों में भुगतान किया जाएगा:

- (i) बैंक को डीपीआर और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद 20 प्रतिशत भुगतान।
- (ii) वीसीए के प्रावधान सहित अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा मियादी ऋण की मंजूरी के बाद 40 प्रतिशत।
- (iii) ऋण की मंजूरी तथा एसएफएसी द्वारा वीसीए के वितरण के बाद 40 प्रतिशत।
- (छ) ऋणदाता अधिसूचित वित्तीय संस्था, सावधिक ऋण की स्वीकृति तथा उद्यम पूंजी जारी करने के लिए एसएफएसी या परामर्शक से सीधे रूप में प्राप्त डीपीआर की विस्तृत जांच करेगा। ऋणी को दी जाने वाले सावधिक ऋण स्वीकृति पत्र की एक प्रति, एसएफएसी को भी रिकार्ड के लिए भेजी जाएगी।
- (ज) कृषि व्यापार विकास के लिए प्रशिक्षण तथा उद्यमियों के दौरों तथा चिन्हांकित कृषि व्यापार परियोजनाओं के गठन के लिए राज्य एसएफएसी को बढ़ते क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए भी पीडीएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- (झ) एसएफएसी अपनी परियोजना विकास सुविधा का उपयोग राज्य एसएफएसी, राज्य कृषि वि.वि. तथा अन्यों की सेवा लेने में किया जाएगा ताकि संभावित उद्यमियों तथा उत्पादक संगठनों के लिए उद्यम पूंजी सहायता के लाभों का जोरदार तरीके से प्रचार-प्रसार किया जा सके।

# 4. ELIGIBLE PERSONS

Assistance under the Scheme will be available to Individuals; Farmers; Producer Groups; Partnership/Proprietary Firms; Self Help Groups; Companies; Agripreneurs; units in agriexport zones, and Agriculture graduates Individually or in groups for setting up agribusiness projects.

For professional management and accountability the groups have to preferably form into companies or producer companies under the relevant Act.

# 5. ROLE OF CENTRAL SFAC

- (a) On receipt of proposal from Notified Financial Institution indicating sanction of term loan and requirement of VCA; SFAC will submit the proposal to its Investment Committee for approval. Field visits shall be conducted by SFAC or its authorized representatives for evaluation and linkages with farmers etc.
- (b) SFAC after seeking approval of its Investment Committee and sanction by its Managing Director will release VCA to the Notified Financial Institution.
- (c) SFAC will seek approval of its Executive Committee in cases where higher Venture Capital Assistance is proposed to be considered.
- (d) Project Development Facility could be utilized to inspect such proposals, which may include site visits, referred by Notified Financial Institution needing clarification to determine if projects are qualifying or not and report back to Notified Financial Institution within 30 days of receipt of reference.
- (e) Central SFAC will strengthen the State SFACs and financially assist them in undertaking promotional activities, campaigns, printing of guidelines in local languages; identification of qualifying projects and in organizing producer groups.
- (f) SFAC will have Memorandum of Understanding (MOU) with all financial institutions notified by the Reserve Bank of India where the ownership of Central/State Government is more than 50% such as Nationalized banks, SBI & its subsidiaries, IDBI, SIDBI, NABARD, NCDC, NEDFi, Exim Bank, RRBs & State Financial Corporations.
- (g) SFAC will have a separate agreement with the applicant for facilitating the recovery of its loan amount extended under Venture Capital assistance.



## 4. पात्र लाभार्थी

इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तितयों, कृषकों, उत्पादक समूहों, साझेदार/स्वामी फर्मों, स्व-सहायता समूहों, कम्पनियों, कृषि उद्यमियों कृषि-निर्यात क्षेत्रों में इकाइयों तथा कृषि स्नातक व्यक्तिगत रूप से या समूहों को सहायता उपलब्ध रहेगी।

व्यावसायिक प्रबंधन तथा जवाबदेही के लिए समूहों को अधिमानत: संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियाँ या उत्पादक कम्पनियाँ बनाना होगा।

# 5. केन्द्रीय एसएफएसी की भूमिका

- (क) अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिसमें मियादी ऋण की स्वीकृति तथा वीसीए की मांग का जिक्र हो, एसएफएसी इस प्रस्ताव को अपनी निवेश सिमिति को अनुमोदन के लिए भेजेगा। एसएफएसी या इसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मूल्यांकन और किसानों से सम्पर्क के लिए फील्ड दौरा किया जाएगा।
- (ख) अपनी निवेश समिति से सहमित तथा प्रबंध निदेशक से स्वीकृति के पश्चात् एसएफएसी अधिसूचित वित्तीय संस्था को उद्यम पूंजी जारी कर देगा।
- (ग) ऐसे मामले जिनमें अधिक उद्यम पूंजी सहायता पर विचार करने का प्रस्ताव रखा गया हो, एसएफएसी के लिए अपनी कार्यकारी समिति की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
- (घ) अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा संदर्भित वैसे प्रस्ताव जिनके संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए की परियोजनाएं अहर्तता रखती है या नहीं, स्पष्टीकरण आवश्यक हो, की जांच के लिये परियोजना विकास सुविधा का उपयोग किया जा सकता है और संदर्भ प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर अधिसूचित वित्तीय संस्था को रिपोर्ट देनी होगी।
- (ङ) केन्द्रीय एसएफएसी राज्यों की एसएफएसी को मजबूत बनाएँगी तथा उन्हें संवर्द्धनात्मक गितविधियों, अभियानों, स्थानीय भाषा में दिशा-निर्देशों का मुद्रण, अहर्त पिरयोजनाओं की पहचान तथा उत्पादक समूहों के संगठन आदि हेतु वित्तीय सहायता देगी।
- (च) एसएफएसी का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित ऐसी सभी वित्तीय संस्थाओं के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) होगा जिसमें केंद्र/राज्य सरकार के 50 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व हो जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंक, एसबीआई और इसके सहायक बैंक, आईडीबीआई, सिडबी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एनईडीएफआई, एक्जिम बैंक, आरआरबी तथा राज्य वित्तीय निगम आदि।
- (छ) एसएफएसी उद्यम पूंजी सहायता के अन्तर्गत दी गई अपनी ऋण राशि की वसूली के लिए आवेदक के साथ अलग से एक करारनामा करेगी।



#### 6. ROLE OF STATE SFACs

- (a) To aggressively promote agribusiness project development in their respective States as an extended arms of Central SFACs.
- (b) State SFACs in consultation with Central SFAC will prepare a plan for agribusiness project development in their respective States.
- (c) State SFACs after due diligence and ascertaining the backward linkages as per the objectives will recommend agribusiness projects to Central SFAC for venture capital.
- (d) State SFACs, with the assistance under PDF facility from Central SFAC, will organize awareness and Entrepreneurship Training & Development Camps, Publicity Campaigns, for setting up identified projects. State SFACs, will undertake promotional activities and organize producer group's seminar/meeting etc. State SFACs may get published guidelines, brochures, pamphlets and posters etc. of VCA scheme in local languages. They may use other means of advertisement to get wider publicity for the scheme at the cost of Central SFAC.
- (e) Help producer groups in framing pre-feasibility reports and facilitate interaction with local Notified Financial Institutions for their recommendation.
- (f) Function as repositories of information maintaining a data base of potential areas, producer groups and marketable surplus of various crops available.
- (g) Provide venture capital to small projects out of interest earned on the Corpus fund and refer large projects to Central SFAC.
- (h) As a member of SLBC, raise the issues concerning agribusiness project development in their respective States during the SLBC meetings and organize awareness camps in coordination with local Banks/State Government.
- (i) Monitor the projects assisted through VCA facility in implementation stage and intimate developments/deficiencies to Central SFAC for initiating remedial action.
- (j) The State SFAC in coordination with the State agencies and lending banks shall assist Central SFAC in recovery of VCA in cases where the beneficiaries of VCA have not refunded the venture capital as per the original schedule.



# 6. राज्यों की एसएफएसी की भूमिका

- (क) अपने-अपने राज्यों में केंद्रीय एसएफएसी के सहयोगी के तौर पर कृषि व्यापार परियोजनाओं को तेजी से बढ़ाना।
- (ख) राज्यों की एसएफएसी अपने से संबंधित राज्यों में कृषि व्यापार परियोजना विकास के लिए केन्द्रीय एसएफएसी के साथ मिलकर एक योजना तैयार करेंगें।
- (ग) राज्य एसएफएसी पूरे विवेकपूर्ण विचार तथा उद्देश्यों के अनुरूप, पश्च-संपर्क का निर्धारण करने के पश्चात उद्यम पूंजी के लिए उन कृषि व्यापार परियोजनाओं की केन्द्रीय एसएफएसी से सिफारिश करेगी।
- (घ) केंद्रीय एसएफएसी से मिली पीडीएफ सुविधा के तहत प्राप्त सहायता से राज्य एसएफएसी चिन्हांकित परियोजनाओं के गठन के लिए जागरूकता तथा उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास कैम्प, प्रचार अभियान का आयोजन करेंगे। राज्य एसएफएसी उन्नत गतिविधियों का संचालन करेगी तथा उत्पादक वर्ग के लिए संगोष्ठी/बैठकें आदि आयोजित करेगी। राज्य एसएएफसी स्थानीय भाषाओं में वीसीए योजना के दिशा निर्देशों, ब्रोशर, पैम्फलेट तथा पोस्टर आदि को प्रकाशित करेगी।
- (ङ) पूर्व-संभाव्यता प्रतिवेदनों को बनाने में उत्पादक समूहों की सहायता करना तथा उन्हें संस्तुत किए जाने के लिए स्थानीय बैंकों के साथ संपर्क सुलभ करवाना।
- (च) सूचनाओं के संग्रहक के रूप में कार्य करना जैसे संभावित क्षेत्रों, उत्पादक समूहों तथा विभिन्न फसलों के विपणन योग्य उपलब्ध आधिक्य की आधारभूत सूचनाएं रखना।
- (छ) संग्रहित कोष पर अर्जित ब्याज में से छोटी परियोजनाओं को उद्यम पूंजी सुलभ कराना तथा बड़ी परियोजनाओं को केंद्रीय एसएफएसी को अग्रेषित करना।
- (ज) एसएलबीसी के एक सदस्य के रूप में, इसकी बैठकों के दौरान अपने राज्य में कृषि व्यापार परियोजना के विकास से संबंधित मुद्दों को उठाएंगी और स्थानीय बैंकों/राज्य सरकार के साथ मिलकर जागरूकता कैम्प लगाएगी।
- (झ) कार्यान्वयन स्तर में वीसीए सुविधा के माध्यम से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की निगरानी करना तथा इसकी प्रगति/किमयों को केंद्रीय एसएफएसी को सूचित करना तािक उपचारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा सके।
- (ञ) राज्य एसएफएसी राज्य एजेंसियों तथा कर्ज देने वाले बैंकों के सहयोग से ऐसे मामलों में केंद्रीय एसएफएसी को वसूली में सहायता करेंगे जहां वीसीए के लाभार्थी ने मूल अनुसूची के अनुसार उद्यम पूंजी को वापस न किया हो।



#### 7. ROLE OF AGRIPRENEURS

For the success of the Venture, the agribusiness projects should be grounded within a predetermined time schedule as fixed in the sanction of term loan:

- (a) The entrepreneur/promoter will provide an undertaking to the Notified Financial Institution to hold charge on the primary and collateral securities including FDRs till full repayment of VCA to SFAC. The entrepreneur/promoter will also enter into an agreement with SFAC for extending charge in favour of SFAC on all the securities (primary and collateral including FDRs) charged by the Notified Financial Institution against their term loan/other facilities after repayment of their Term Loan till full repayment of VCA to SFAC.
- (b) Agripreneurs will submit implementation schedule of the Project to SFAC and participating Notified Financial institution which will be closely monitored by SFAC.
- (c) Deviation, if any, in the implementation schedule should be immediately notified to the concerned lending Notified Financial Institution and to SFAC.
- (d) Agripreneurs will submit Utilization Certificate of Venture Capital Assistance in GFR 19 A duly certified by Chartered Accountant to SFAC and the participating Notified Financial Institutions.
- (e) Agripreneurs will submit yearly physical progress reports, yearly balance confirmation, audited accounts and balance sheet to SFAC and the participating Notified Financial Institutions.
- (f) The agripreneurs while availing venture capital will have to provide an affidavit to SFAC that they have not availed of VC earlier in any capacity.

#### 8. ELIGIBLE FINANCING INSTITUTIONS

All Notified Financial Institutions notified by the Reserve Bank of India where the ownership of the Central/State Government is more than 50% such as nationalised banks, SBI & its Subsidiaries, IDBI, SIDBI, NABARD, NCDC, NEDFi, RRBs & State Financial Corporations.

#### 9. MONITORING AND REPORTING

With a view to minimize paper work and ensure that SFAC is provided with all the relevant details of individual projects financed by the Notified Financial Institutions with Venture Capital support provided by SFAC, units assisted for preparation of DPR, and also progress in project implementation from time to time, the following reporting schedule will be observed:

# (a) Report on Utilization of Venture Capital (VC)/Project Development Facility (PDF)

The Notified Financial Institution will report each disbursement made by them in respect of VC out of the funds received from SFAC. A report on progress in project implementation vis a vis utilization of venture capital fund already given to the party through Notified Financial Institution under VC would also be sent to SFAC.

#### (b) Report on the working of assisted units

The Notified Financial Institution will submit a report on the working of the units financed by them under VC to SFAC on a half yearly basis indicating whether the operations are in line with the projections and whether the borrowers are adhering to repayment commitments.

#### (c) Reporting of Exceptions

The Notified Financial Instituition will also keep SFAC informed of any proposal of rephasement of their Term Loan and will seek SFAC consent before implementing such rephasement. However, any proposal for rephasement of Banks Term Loan and VCA simultaneously, SFAC's prior permission is mandatory. The entrepreneur will not be eligible for any rephasement of VCA at a later date in case permission has not been sought by bank at the time of rephasement of term loan. However, the request for rephasement of VCA can be exercised by Notified Financial Institution/Promoters only once.

# 7. कृषि उद्यमियों की भूमिका

उद्यम की सफलता के लिए, कृषि व्यापार परियोजना को सावधिक ऋण की स्वीकृति में निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए:

- (क) उद्यमी/प्रवर्तक इस बात के लिए बचनबद्ध होगें कि एसएफएसी को वीसीए के पूर्ण भुगतान होने तक एफडीआर सिहत प्राथमिक तथा जमानती प्रतिभूतियों का अधिकार अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं के पास रहेगा। उद्यमी/प्रवर्तक, एसएफएसी के साथ यह करार भी करेंगे कि वीसीए की एसएफएसी को उनके साविध ऋण के पूर्ण भुगतान तक उनके साविध ऋण/अन्य सुविधाओं के प्रति अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा प्रभारित सभी प्रकार की प्रतिभूतियों (प्राथमिक तथा एफडीआर सिहत जमानती प्रतिभृतियों) एसएफएसी के पक्ष में होंगी।
- (ख) कृषि उद्यमियों को परियोजना की कार्यान्वयन योजना एसएफएसी तथा सहभागी बैंक/ऋणदाता संस्था के सम्मुख प्रस्तुत करनी होगी जिस पर एसएफएसी कड़ी निगरानी रखेगी।
- (ग) कार्यान्वयन-योजना में बदलाव, यदि कोई है तो, के बारे में ऋणदाता अधिसूचित वित्तीय संस्था तथा एसएफएसी को अविलंब सूचित करना होगा।
- (घ) कृषि उद्यमियों को चार्टड एकाउटेंट के द्वारा विधिवत् प्रमाणित जीएफआर 19-ए प्रपत्र में उद्यम पूंजी सहायता का उपयोग प्रमाणपत्र एसएफएसी तथा सहभागी अधिसृचित वित्तीय संस्था के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।
- (ङ) कृषि उद्यमियों को एसएफएसी तथा सहभागी अधिसूचित वित्तीय संस्था के सम्मुख वार्षिक आधार पर भौतिक प्रगति रिपोर्ट्स, सालाना शेष प्रमाणीकरण, अंकेक्षित लेखा तथा तुलन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- (च) उद्यम पूंजी प्राप्त करते वक्त कृषि उद्यमी इस आशय का शपथ पत्र एसएफएसी को देंगे कि उन्होंने इसके उद्यम पूंजी प्राप्त नहीं की है।

# 8. योग्य वित्तीय संस्थाएं

सभी अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया गया हो और जिनमें केंद्र/ राज्य सरकार का 50 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व हो जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, एसबीआई और इसके सहायक बैंक, आईडीबीआई, सिडबी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एनईडीएफआई, एक्जिम बैंक, आरआरबी तथा राज्य वित्तीय निगम आदि।

# 9. निगरानी तथा प्रतिवेदन

कागजी कारवाई को कम से कम करने तथा एसएफएसी को अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा वित्तपोषित, एसएफएससी से उद्यम पूंजी प्राप्त प्रत्येक परियोजना, डीपीआर की तैयारी हेतु सहायता प्राप्त इकाईयों तथा समय-समय पर परियोजना क्रियान्वयन की प्रगति से संबंधित आवश्यक विवरणों की उपलिब्ध सुनिश्चित करवाने हेतु निम्नलिखित प्रतिवेदन कार्यक्रम का अनुपालन किया जाएगा:

# (क) उद्यम पूंजी (वीसी)/परियोजना विकास सुविधा (पीडीएफ) के उपयोग पर प्रतिवेदन

एसएफएसी से प्राप्त होने वाले कोषो में से उद्यम पूंजी के प्रत्येक वितरण की रिपोर्ट अधिसूचित वित्तीय संस्था देगा। परियोजना कार्यान्वयन में प्रगति के साथ-साथ उद्यम पूंजी के अन्तर्गत अधिसूचित वित्तीय संस्था के माध्यम से पार्टी को पहले दी गयी उद्यम पूंजी राशि के इस्तेमाल पर रिपोर्ट भी एसएफएसी को भेजी जाएगी।

# (ख) सहायता प्राप्त इकाइयों की कार्य प्रणाली पर प्रतिवेदन

अधिसूचित वित्तीय संस्था उद्यम पूंजी के अन्तर्गत उनके द्वारा वित्त-पोषित इकाइयों की कार्य प्रणाली पर अर्द्ध-वार्षिक आधार पर एसएफएसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि प्रचालन पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है या नहीं तथा ऋणी पूर्वभुगतान प्रतिबद्धता के अनुसार भुगतान कर रहे हैं या नहीं।

# (ग) अपवादों की सूचना

अधिसूचित वित्तीय संस्था अपने साविध ऋण के प्रावस्था (रिफेजमेंट) के किसी प्रस्ताव के बारे में एसएफएसी को भी सूचित करेंगी तथा ऐसी किसी प्रावस्था को क्रियान्वित करने के पूर्व वे एसएफएसी

#### (d) Project Specific Information

In addition to the above standard reporting by Notified Financial Institution, it would also provide SFAC with project specific information, if any, sought by it from time to time.

#### (e) Field Visits

As part of due diligence, SFAC will through its officials or authorized representatives undertake field visits to ascertain backward linkages with the farmers, feasibility of the site, availability of raw material, etc.

SFAC's Officers/representatives will undertake field visits independently or in association with the lending Notified Financial Institution or State Government/State SFAC to monitor the implementation of the project.

#### (f) Change of Bank during currency of VCA

Entrepreneur through their Lending Notified Financial Institution will obtain prior permission from the SFAC for change of bank. This facility can be availed by the promoter only once in the tenure of the Venture Capital Assistance.

#### (g) Monitoring performance of the Scheme at DAC level

SFAC will submit to DAC a statement twice every year, giving a summary account of i) year-wise total number of projects and VCA amount sanctioned so far; ii) total number projects including the total amount of which recovery of VCA has become due and actual recovery as against the due amount of recovery; iii) details of default cases and the amount involved including action taken for recovery in such cases as also action taken for write off in critical cases, if any.

#### 10. IMPLEMENTATION PERIOD

The Scheme will be implemented during 2012-17 in the XII Plan with a central assistance of ₹500.00 Crores.

# 11. IMPLEMENTING AGENCY

The Scheme will be implemented by Small Farmers' Agribusiness Consortium (SFAC), a registered society functioning under Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture.

# 12. GENERAL AWARENESS, PUBLICITY AND TRAINING PROGRAMME

Services of Notified Financial Institutions will also be engaged for sensitizing the officials of the Notified Financial Institutions and other functionaries about the Scheme. SFAC will undertake publicity through multiple media format to generate mass awareness about the Scheme, especially in States and regions which were under-served in the XI Plan.

Services of banking institutions will also be engaged for sensitizing the Branch Managers and other functionaries about the Scheme.

# 13. POWER TO MAKE AMENDMENTS TO THE SCHEME

Within the overall financial ceiling of the Venture Capital Scheme, modification in operating procedures that are not of a financial nature may be made by DAC.

से परामर्श लेंगी। तथापि, बैंक से साविध ऋण के प्रावस्था तथा वीसीए को उसी समय लेने के किसी प्रस्ताव पर एसएफएसी की पूर्व अनुमित लेना अनिवार्य है। उद्यमी बाद की तिथि में वीसीए में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा यदि साविध ऋण के परिवर्तन के समय बैंक द्वारा इसकी अनुमित नहीं ली गई हो। हालांकि, अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं/प्रवर्तकों द्वारा वीसीए के परिवर्तन के लिए सिर्फ एक बार अनुरोध किया जा सकता है।

## (घ) परियोजना-विशेष के बारे में सूचना

अधिसूचित वित्तीय संस्था उपर्युक्त मानक रिपोटिंग के अतिरिक्त, एसएफएसी को समय-समय पर उसके द्वारा मांगे जाने पर किसी परियोजना विशेष के बारे में वांछित सूचना यदि कोई हो तो प्रदान करती रहेगी।

#### (ङ) फील्ड दौरे

विधिवत तत्परता के तौर पर एसएफएसी के अधिकारी या अधिकृत प्रतिनिधि विपणन सुविधाएं (बैकवार्ड लिंकेज), कार्य स्थल की व्यवहार्यता, कच्चे माल की उपलब्धता आदि को सुनिश्चित करने के लिए किसानों के फील्ड का दौरा करेंगे।

परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एसएफएसी के अधिकारी स्वतंत्र रूप से अथवा ऋणदाता अधिसूचित वित्तीय संस्था या राज्य सरकार/राज्य एसएफएसी के सहयोग से खेतों का भ्रमण करेंगे।

# (च) वीसीए के जारी रहने के दौरान बैंक को बदलना

उद्यमी अपने कर्जदाता अधिसूचित वित्तीय संस्थान के माध्यम से बैंक को बदलने के लिए एसएफएसी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा। उद्यम पूंजी सहायता की अवधि में प्रवर्तक द्वारा इस सुविधा का उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है।

## (छ) डीएसी स्तर पर योजना के कार्य-निष्पादन की निगरानी

एसएफएसी, एक वर्ष में दो बार निम्नानुसार खाते का सारांश देते हुए डीएसी को एक विवरण प्रस्तुत करेगी। i) परियोजनाओं की वर्ष-वार कुल संख्या और अब तक स्वीकृत वीसीए राशि, ii) परियोजनाओं की कुल संख्या जिसमें वीसीए की वसूली की कुल राशि जो कि देय हो गई है तथा वसूली की देय राशि के विरूद्ध वास्तविक वसूली और iii) अदायगी में चूक वाले मामलों का ब्यौरा और उनकी राशि जिसमें ऐसे मामलों में वसूली के लिए की गई कारवाई तथा गंभीर मामलों में राइट ऑफ हेत् की गई कारवाई।

# 10. कार्यान्वयन अवधि

इस योजना को ₹500.00 करोड़ की केंद्रीय सहायता से बारहवीं योजना में 2012-17 के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा।

# 11. कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी

यह योजना कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

# 12. सार्वजनिक जागरूकता, प्रचार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम

अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं की सेवाओं को अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं के कार्मिकों तथा अन्य कार्यकर्ताओं को इस योजना के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। एसएफएसी विविध प्रकार के मीडिया प्रारूपों के माध्यम से इसका प्रचार करेंगे तािक योजना के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की जा सके, विशेषकर उन राज्यों और क्षेत्रों में जहां ग्यारहवीं योजना में इस पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया।

# 13. योजना में संशोधन करने का अधिकार

उद्यम पूंजी योजना की संपूर्ण वित्तीय सीमा के भीतर ऐसी संचालन प्रक्रियाएं जो कि वित्तीय प्रकार की नहीं हैं, में डीएसी द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं।



# (Model Format) Memorandum of Understanding between Small Farmers' Agribusiness Consortium New Delhi

(Department of Agriculture & Cooperation Ministry of Agriculture) and the Notified Financial Institution

This MOU is signed on the				
Small Farmers' Agribusiness C 1860) registered office at NCUI	<u>*</u>	, •	•	
Marg, Hauz Khas, New Delhi	- 110 016, which in	ncludes its successo	ors/ assigns etc., he	ereinafter
called SFAC on the first part	and	_ Bank/Financial Ins	stitution (hereinafter	referred
to as 'Notified Financial Institu	ition' which expres	sion that unless rep	ugnant to the conte	xt herein
shall mean and include its ass	igns and successo	ors) with registered of	office at	on
the other part.				

- 1. SFAC's focus is to attract private investment for setting up of projects that will link farmers & producer groups to markets, thereby substantially enhancing the opportunities for growth through commercial business activity.
- 2. The objective sought to be achieved by SFAC in discharging its duties are \_\_\_\_\_\_\_ Venture Capital Assistance and Project Development Assistance to qualifying projects through participating Notified Financial Institution.
- 3. This agreement for SFAC Venture Capital Assistance operations with participating lending Notified Financial Institution will synergize their functions, competencies and projected sector development.
- 4. Whereas the Notified Financial Institution, in furtherance of its desire to play an active role in participation and promotion of investments in qualifying agribusiness projects and to coordinate the related activities with SFAC, is prepared to make available term loans/ working capital



# (नमूना प्रपत्र) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली (कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय) तथा अधिसूचित वित्तीय संस्था

# के बीच समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन------दिन-----माह-----वर्ष ----- को लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (सिमितियाँ अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सिमित), जिसका पंजीकृत कार्यालय, एनसीयूआई सभागार भवन, पांचवां तल, 3 सिरी औद्योगिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली - 110016 में स्थित है तथा जिसमे इसके उत्तराधिकारी/सम्बद्ध आदि सिम्मिलित हैं, तथा जिसे इसके पश्चात एसएफएसी कहा जाएगा प्रथम पक्ष के रूप में तथा-----वैंक/वित्तीय संस्था (जिसे अब 'अधिसूचित वित्तीय संस्था' कहा जाएगा, जिससे अभिप्रायः उसमें सिम्मिलित सम्बद्ध तथा उत्तराधिकारी होंगे) जिसका पंजीकृत कार्यालय-------स्थित है, दूसरा पक्ष है।

- एसएफएसी का मुख्य केन्द्र बिन्दु परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना है जो कृषकों व उत्पादक समूहों को बाजार से जोड़ेगी जिससे वाणिज्यिक व्यापार गतिविधि के माध्यम से विकास के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।
- अपने कार्य-निर्वाह में एसएफएसी द्वारा जिन उद्देश्य की प्राप्ति अभीष्ट है वे हैं--- सहभागी अधिसूचित वित्तीय संस्था के माध्यम से अहर्तता प्राप्त पिरयोजनाओं को उद्यम पूंजी सहायता तथा पिरयोजना विकास सहायता सुलभ कराना।
- यह करार एसएफएसी की उद्यम पूंजी सहायता के प्रचालन के लिए सहभागी ऋणदाता अधिसूचित वित्तीय संस्था के साथ है जो उनके कार्यों, सक्षमता और लिक्षत क्षेत्र के विकास की योजनाओं को सहयोजित करेगा।
- 4. वहीं अधिसूचित वित्तीय संस्था अहर्ता प्राप्त कृषि व्यापार पिरयोजनाओं में निवेशों में सहभागिता व प्रोत्साहन में एक सिक्रिय भूमिका निभाने की अपनी आकांक्षा को बढ़ाते हुए तथा एसएफएसी के साथ संबंधित गितविधियों में समन्वयन स्थापित करने हेतु अहर्तता प्राप्त कृषि-व्यापार पिरयोजनाओं को साविधिक ऋण/कार्यरत पूंजी मुहैया कराने को तैयार है। बैंक एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराके एसएफएसी की उद्यम पूंजी सहायता (वीसीए) तथा पिरयोजना विकास सहायता (पीडीए) के विस्तार में सहायता भी करेगी।

to qualifying agribusiness projects and also facilitate extension of SFAC's Venture Capital Assistance (VCA) and Project Development Assistance (PDA) through a single window approach.

- 5. For the purpose of synergizing the efforts of SFAC for Promoting agribusiness Development in the country with the Notified Financial Institutions expertise in extending loans to viable agri- projects, SFAC and the Notified Financial Institution do hereby agree to cooperate with each other, for the development of agribusiness Sector and related areas and enter into this Memorandum of Understanding (MOU).
- **6.** Whereas SFAC and the Notified Financial Institution are desirous of establishing a formal operational framework to achieve the objectives of agribusiness.
- 7. Whereas SFAC, in order to achieve its objective desired to associate with the Notified Financial Institution for disbursement of VCA and PDA (for preparation of DPR by SFAC empanelled consultants) to agribusiness projects and to attract private investment for setting up of projects that will link farmers and producers groups to markets, thereby substantially enhancing the opportunities for growth through commercial business activity which in turn will generate ample employment opportunities for rural unemployed and the Notified Financial Institution agreed to disburse the same and to provide term loans/ working capital to such qualified agribusiness projects and serve as a single window facility on the following terms and conditions:

# The Abbreviations and Terms Used in MOU

**Qualifying project for VCA** - Project qualifying for Venture Capital Assistance (VCA) provided by SFAC would be one which (a) is dependent upon agriculture or allied sector or related to agricultural services. Poultry and dairy projects will also be covered under the Scheme (b) provides assured market to farmers/producer groups (c) encourages farmers to diversify into high value crops aimed to increase farm incomes and (d) is accepted by the Notified Financial Institution for grant of project term loans after satisfactory techno- commercial feasibility.

Qualifying project for PDF- A project qualifying for assistance from the PDF will be qualifying project for VCA set up by producers groups/agribusiness groups with minimum project cost of ₹15 lakhs (₹10.00 lakhs in case of North-Eastern and Hilly States (Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir)) and which has been accepted in principle for considering sanction of term loan by a Notified Financial Institution on the basis of Pre- feasibility report.

**Project Development Facility (PDF)** of SFAC maintains a pool of qualified skilled consultants to render services at low cost to producer groups/agribusiness groups.

**Project Development Assistance (PDA)** is a scheme under which financial support is provided to producer groups/agribusiness groups for preparation of DPR by SFAC.

**Detailed Project Report (DPR)** is the document providing all necessary details and projections relating to the project, which would enable Notified Financial Institution to evaluate viability of the project.

**Venture Capital Assistance (VCA)** is the financial support provided by SFAC for qualifying projects to meet shortfall in the capital required for implementation of the project. VCA will be treated as part of equity during the currency of the bank loan and thereafter converted to a loan based on an agreement to be executed between SFAC and the borrower.

- 5. व्यवहार्य कृषि पिरयोजनाओं को ऋण देने में अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं की विशेषज्ञता के साथ देश में कृषि व्यापार पिरयोजना विकास को बढ़ावा देने के लिए एसएफएसी के प्रयासों के साथ तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से, एसएफएसी और अधिसूचित वित्तीय संस्था एतदद्वारा कृषि व्यापार क्षेत्र तथा संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए परस्पर रूप से इस समझौता ज्ञापन को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं।
- उद्देश्यों और अधिसूचित वित्तीय संस्था दोनों कृषि व्यापार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक प्रचालनात्मक संरचना स्थापित करने के इच्छिक है।
- 7. यह कि, एसएफएसी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिसूचित वित्तीय संस्था के साथ सहयोग करने को इच्छुक है तािक कृषि व्यापार परियोजनाओं को वीसीए तथा (एसएफएसी द्वारा सूचीबद्ध परामर्शकों द्वारा डीपीआर तैयार करने के लिए) पीडीए दिया जा सके तथा परियोजनाओं को लगाने के लिए निजी निवेश को आकर्षिक किया जा सके। ये परियोजनाएं कृषकों और उत्पादक समूहों को बाजारों से जोड़ेगी। जिससे वािणज्य व्यापार गतिविधि के माध्यम से विकास के अवसरों में काफी वृद्धि होगी तथा बदले में ग्रामीण बेरोजगारों के लिए प्रचुर मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अधिसूचित वित्तीय संस्था इन अहर्तता प्राप्त कृषि व्यापार परियोजनाओं को साविधिक ऋण तथा कार्यगत पूंजी सुलभ कराने व उनका वितरण करने के लिए सहमत है तथा निम्नलिखित नियमों व शर्तो पर एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं सुलभ कराने की सेवा देने हेतु सहमत है:

# समझौता ज्ञापन में इस्तेमाल किए गए संक्षिप्त शब्द व शब्दावलियाँ

वीसीए हेतु परियोजना की अर्हता या पात्रता: एसएफएसी द्वारा सुलभ करायी जाने वाली उद्यम पूंजी सहायता (वीसीए) के लिए अर्हता प्राप्त परियोजना वह होगी जो (क) वीसीए हेतु परियोजना की अर्हता या पात्रता उसके कृषि या उससे जुड़े क्षेत्रों या कृषि सेवाओं से संबंधित होनी चाहिए। इस योजना के तहत मुर्गीपालन (पोल्ट्री) तथा डेयरी परियोजनाएं भी शामिल होंगी। (ख) वे परियोजनाएं जो किसानों/उत्पादक समूहों को सुनिश्चित बाजार प्रदान करती हों इस योजना में शामिल होंगी। (ग) किसानों को कृषि आय बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च कीमत की फसलों की ओर विविधीकरण करने को प्रोत्साहित करती हों (घ) संतोषजनक तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के बाद परियोजना सावधिक ऋण को मंजूर करने के लिए अधिसूचित वित्तीय संस्था को स्वीकार्य हो।

पीडीएफ हेतु योग्य परियोजना: पीडीएफ से सहायता हेतु एक योग्य परियोजना वह होगी जिसे उत्पादक कृषि व्यापार समुहों द्वारा स्थापित किया गया हो तथा जिसकी न्यूनतम परियोजना लागत ₹15 लाख (पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिए ₹10 लाख) हो तथा जिसे पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर किसी अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा साविध ऋण की स्वीकृति हेतु सिद्धांत: अनुमोदित किया गया हो।

परियोजना विकास सुविधा (पीडीएफ): एसएफएसी की यह सुविधा उत्पादक समूहों/कृषि व्यापार समूहों को निम्न लागत पर अपनी सेवाएं सुलभ कराने हेतु योग्यता प्राप्त/कुशल परामर्शकों का एक निकाय है।

परियोजना विकास सहायता (पीडीए): यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत एसएफएसी द्वारा डीपीआर की तैयारी के लिए उत्पादक समूहों/कृषि व्यापार समूहों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर): वह दस्तावेज होता है जिसमें परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक विवरणों तथा प्रक्षेपणों का ब्यौरा होता है जिससे अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं को परियोजना की व्यवहार्यता के मृल्यांकन में सहायता मिलती है।

उद्यम पूंजी सहायता (वीसीए): यह अहर्तता प्राप्त पूंजी योजनाओं के लिए एसएफएसी द्वारा सुलभ कराई जाने वाली वह वित्तीय सहायता है जो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पूंजी में कमी को पूरा करती है। वीसीए बैंक ऋण के दौरान इक्विटी के रूप में मानी जाएगी तथा इसके बाद यह एसएफएसी और ऋणदाता के बीच होने वाले करार के आधार पर एक ऋण के रूप में परिवर्तित हो जाएगी।

# 8. RESPONSIBILITIES OF THE NOTIFIED FINANCIAL INSTITUTION

# **Project Development**

- (a) The Notified Financial Institution has branches and operations in different parts of the country and they are closely linked and accessible to producers and entrepreneurs in the areas covered by their branch network. The producer groups/ entrepreneurs/trained agribusiness graduates/ units in Agricultural Export Zone (AEZ) (called applicant) desirous of seeking PDA can approach nearest branch of the Notified Financial Institution along with pre- feasibility report or such other documents giving details of the proposed project for the consideration of the Notified Financial Institution. Such persons may also directly approach SFAC seeking assistance for preparation of DPR under PDA scheme.
- (b) The Notified Financial Institution will examine the pre-feasibility report and on being about the background of the promoters and prima facie acceptability of the project, will record their observations and direct the proposal to SFAC for assistance in preparation of DPR by one of the consultants in their panel. The Notified Financial Institution may also directly forward the case to SFAC empanelled consultant for taking up the study on the terms and conditions stipulated by SFAC under advice to SFAC.
- (c) In respect of cases referred to a consultant directly by the Notified Financial Institution, payment will be made from the funds received from SFAC for preparation of DPR as per the terms and conditions specified by SFAC.
- (d) The Notified Financial Institution will release the cost of preparation of DPR to those projects found viable depending on the size, location, and linkage issues on a case-to-case basis from the SFAC fund. Intending projects must be over ₹15 lakhs (₹10 lakhs in case of NE States and other hilly areas) in size.
- (e) The schedule of fee payable to empanelled consultants under Venture Capital Assistance Scheme for Agribusiness Development is summarized below:

Category-I: (Project size between ₹10.00 lakh to ₹25.00 lakh)

Total fee: ₹25000.00 (Rupees Twenty Five Thousand Only).

Category-II: (Project size above ₹25.00 lakh and upto ₹1.00 Crore)

**Total fee:** ₹50000.00 (Rupees Fifty Thousand Only).

**Category-III**: (Project size above ₹1.00 Crore and upto ₹3.00 Crore)

Total fee: ₹75000.00 (Rupees Seventy Five Thousand Only).

**Category-IV**: (Project size above ₹3.00 Crore and upto ₹5.00 Crore)

Total fee: ₹100000.00 (Rupees One Lakh Only).

**Terms of payment of all Categories:** The fee will be paid to empanelled consultants in three stages:

- (i) 20% after submission of DPR and other documents to the bank.
- (ii) 40% after sanction of term loan by Notified Financial Institution with provision of VCA.
- (iii) 40% after sanction and disbursement of VCA by SFAC.
- (f) Agribusiness projects will need to be directly linked to the bank to avail project term loans. The Notified Financial Institution will have the flexibility to syndicate any part of the project term loan to other Notified Financial Institution.
- (g) The DPR received from SFAC or directly from the consultant will be examined in detail by the Notified Financial Institution for sanction of term loan and release of venture capital. A copy of the term loan sanction advice to the borrower will also forwarded to SFAC for their record.
- (h) The Notified Financial Institution will maintain separate account for SFAC funds.

# 8. अधिसूचित वित्तीय संस्था का उत्तरदायित्व

#### परियोजना विकास

- (क) अधिसूचित वित्तीय संस्था देशभर के विभिन्न भागों में अपनी शाखाओं तथा प्रचालन होते हैं तथा वे निकटतम रूप से संबंधित होते हैं। वे अपनी शाखाओं की संरचना के द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उत्पादकों और उद्यमियों की पहुँच में होते हैं। पीडीएफ इच्छुक उत्पादक समूह/उद्यमी/प्रशिक्षित कृषि व्यापार स्नातक/कृषि निर्यात क्षेत्र में इकाइयाँ (जिन्हें आवेदक कहा गया है) बैंक की निकटतम शाखा से संपर्क कर सकते हैं। वे बैंक के विचारार्थ प्रस्तावित परियोजना की पूर्व-संभाव्य रिपोर्ट या परियोजना का विवरण दर्शाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। यह व्यक्ति पीडीएफ योजना के अंतर्गत डीपीआर तैयार करने के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु एसएफएसी से सीधे भी सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
- (ख) अधिसूचित वित्तीय संस्था पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट की समीक्षा करेगा तथा प्रमोटर्स की पृष्ठभूमि व परियोजना की तात्कालिक स्वीकृति के बारे में संतुष्ट हो जाने के बाद, वह अपना मत दर्ज करेगा और प्रस्ताव को एसएफएसी के पास उसके सूचीबद्ध परामर्शकों में से किसी एक से डीपीआर तैयार करवाने हेतु भेजेगा। अधिसूचित वित्तीय संस्था मामले को एसएफएसी द्वारा वर्णित नियम व शर्तो पर अध्ययन करने के लिए एसएफएसी के सूचीबद्ध परामर्शक के पास सीधे भी भेज सकता है जिस की सूचना वह एसएफएसी को भी भेज देगा।
- (ग) अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा मामलों को सीधे परामर्शक को भेजे जाने पर, डीपीआर तैयार करने के लिए एसएफएसी से प्राप्त कोषों से, एसएफएसी द्वारा निर्दिष्ट नियम व शर्तों के अनुरूप, भुगतान कर देगा।
- (घ) अधिसूचित वित्तीय संस्था प्रत्येक मामले के आधार पर डीपीआर तैयार करने की लागत उन्हीं परियोजनाओं को एसएफएसी कोष से जारी करेगा जो आकार, जगह और जुड़ाव जैसे मुद्दों पर व्यवहार्थ पाए जाएंगे। परियोजनाएं आकार में ₹15 लाख रुपये (पूर्वोत्तर राज्यों व अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के मामलों में ₹10 लाख रुपये) से अधिक की होनी चाहिए।
- (ङ) कृषि व्यापार विकास के लिए वेंचर कैंपिटल सहायता योजना के तहत पैनल में शामिल सलाहकारों को देय शुल्क की अनुसूची संक्षेप में निम्न हैं:

श्रेणी-I: (₹10.00 लाख से ₹25.00 लाख तक की परियोजना के लिए)

कुल शुल्क: ₹25,000.00 (रूपए पच्चीस हजार केवल)।

श्रेणी-॥: (₹25.00 लाख से अधिक तथा ₹1.00 करोड़ तक की परियोजना के लिए)

कुल शुल्क: ₹50,000.00 (रूपए पचास हजार)।

श्रेणी-Ш: (₹1.00 करोड़ से अधिक तथा ₹3.00 करोड़ तक की परियोजना के लिए)

कुल शुल्क: ₹75,000.00 (रूपए पचहत्तर हजार मात्र)।

श्रेणी-IV: (₹3.00 करोड़ से अधिक और ₹5.00 करोड़ तक की परियोजना के लिए)

कुल शुल्क: ₹100,000.00 (एक लाख रूपए केवल)।

सभी श्रेणियों को भुगतान की शर्तै: पैनल सलाहकार को शुल्क तीन चरणों में भुगतान किया जाएगा:

- (i) बैंक को डीपीआर और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद 20 प्रतिशत भुगतान।
- (ii) वीसीए के प्रावधान सहित अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा मियादी ऋण की मंजूरी के बाद 40 प्रतिशत।
- (iii) ऋण की मंजूरी तथा एसएफएसी द्वारा वीसीए के वितरण के बाद 40 प्रतिशत।
- (च) परियोजना सावधिक ऋणों को प्राप्त करने हेतु कृषि व्यापार परियोजनाओं को बैंक के साथ प्रत्यक्षत: जोड़ना आवश्यक होगा। अधिसूचित वित्तीय संस्था के पास परियोजना के सावधिक ऋण के किसी भी भाग को अन्य बैंकों को संधीकृत करने का प्रावधान होगा।
- (छ) सावधिक ऋण स्वीकृत तथा उद्यम पूंजी को जारी करने के लिए अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा एसएफएसी या परामर्शक से सीधे प्राप्त डीपीआर की विस्तृत जांच की जाएगी। ऋणदाता को दिए गए सावधिक ऋण स्वीकृति के पत्र की एक प्रति, रिकार्ड हेतु एसएफएसी को भी अग्रसरित की जाएगी।
- (ज) एसएफएसी निधि के लिए अधिसूचित वित्तीय संस्था अलग से खाता रखेगा।

# 9. VENTURE CAPITAL ASSISTANCE

- 9.1 As part of term loan appraisal in respect of proposals received from the entrepreneurs or agriculture producer groups for sanction of agricultural term loans. The Notified Financial Institution will indicate the amount of venture capital support from SFAC while working out the funding pattern for qualifying projects. Projects qualifying for venture capital assistance from SFAC:
  - Are dependent upon agricultural or allied produce
  - Provide direct access to producers as assured markets
  - Encourage farmers to diversify into high value crops aimed to increase farm income
  - Are accepted by the Notified Financial Institution for grant of project term loans after satisfactory techno- commercial feasibility.
- 9.2 The quantum of SFAC venture capital assistance will depend on the project cost and will be the lowest of the following:
  - ♦ 26% of the promoter's equity
  - ◆ ₹50 lakhs
- 9.3 Higher venture capital assistance can be considered by SFAC to deserving projects on merit and/ or to projects that are located in remote and backward areas, northeastern and hilly States and projects promoted by States/State SFAC's.
- 9.4 For qualifying projects conforming to the criteria mentioned under Para 9.1 above, Notified Financial Institution while considering sanction of term loan for project implementation and tying up the means of finance to meet the total project. The Notified Financial Institution will evaluate the quantum of VCA required keeping in view the stipulations contained in Para 9.2 and 9.3., the Notified Financial Institution will write to SFAC giving details of the project, its cost and indicating the quantum of VCA recommended for tying up means of financing. The Notified Financial Institution will also indicate when the venture capital funds will be required for project implementation. SFAC will place the proposal before its investment committee and communicate to the Notified Financial Institution the quantum of VCA approved for the project.
- 9.5 In case any clarification is needed to determine if projects are qualifying projects or not, the Notified Financial Institution can refer them to SFAC's Project Development Facility, Division of SFAC & PDF Division, who will investigate such proposals which may include site visits and respond to the Notified Financial Institution within 30 days.
- 9.6 The Notified Financial Institution will provide SFAC with full details of the terms and conditions under which the term loan is sanctioned including repayment scheduled fixed for the loan. The bank will also keep SFAC posted of the progress in implementation of the project from time to time after the project become operational. The Notified Financial Institution will keep SFAC posted of the performance of the unit on an yearly basis and keep SFAC informed of any unsatisfactory features noticed in the working of the project as and when it occurs. SFAC will have no charge during the currency of the term loan. Once the term loan is fully repaid, the Notified Financial Institution will advise SFAC of the position to enable them to convert their venture capital funding into a loan repayable as per the agreement entered by SFAC with the promoters. During the pendency of loan, the Notified Financial Institution will have charge over the primary/collateral securities (including FDR) available with the beneficiary and the said securities will not be released by bank to beneficiary or other institutions till full refund of VCA to SFAC.
- 9.7 The Notified Financial Institution will release the term loan in one go or as per the progress in the project implementation after completion of documentation formalities. The funds received from SFAC will be retained in a separate account and released for the project implementation as and when requested by the applicant.

# 9. उद्यम पूंजी सहायता

- 9.1 कृषि सावधिक ऋणों को स्वीकृति के लिए उद्यमियों या कृषि उत्पादक समूहों से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में सावधिक ऋण मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, अहर्तता प्राप्त परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के तरीके की रूपरेखा बनाते समय, अधिसूचित वित्तीय संस्था एसएफएसी से मिलने वाली उद्यम पूंजी सहायता की राशि का उल्लेख करेगा। एसएफएसी से उद्यम पूंजी सहायता की अहर्तता प्राप्त करने के लिए परियोजना को:
  - वे कृषि या इससे सम्बद्ध उत्पाद पर आश्रित हों।
  - → निश्चित बाजार के रूप में उत्पादकों को सीधे पहुँच सुलभ कराती हों।
  - ◆ किसानों को उनकी कृषि आय बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हो।
  - ◆ संतोषजनक तकनीकी वाणिज्यक संभाव्यत: के बाद परियोजना सावधिक ऋणों के अनुमोदन के लिए अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृति हों।
- 9.2 एसएफएसी की उद्यम पूंजी सहायता की मात्रा परियोजना की लागत पर निर्भर करेगी तथा निम्नांकित में से न्यूनतम होगी:
  - प्रमोटर (प्रवर्तक) की इक्विटी का 26 प्रतिशत
  - ₹50.00 लाख
- 9.3 एसएफएसी द्वारा अधिक उद्यम पूंजी सहायता के लिए पात्र योजनाओं को योग्यता के आधार पर तथा/या उन परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है जो दूरदराज पिछड़े क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी व पर्वतीय राज्यों तथा राज्यों/राज्यों की एसएफएसी द्वारा प्रोन्नत परियोजनाएं हो।
- 9.4 उपर्युक्त पैरा 9.1 के अंतर्गत दशाये गए मापदण्ड को पूरा करने वाली अहर्तता प्राप्त परियोजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन हेतु साविधक ऋण की स्वीकृति तथा सम्पूर्ण परियोजना को पूरा करने में होने वाले कुल व्यय की वित्त व्यवस्था को जोड़ने पर विचार करते समय, अधिसूचित वित्तीय संस्था पैरा 9.2 तथा 9.3 में वर्णित जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वीसीए की मात्रा की समीक्षा करेगी चूंकि साविधक ऋण की स्वीकृति तथा जारी करना एसएफएसी से प्राप्त होने वाली वीसीए राशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी, अत: अधिसूचित वित्तीय संस्था एसएफएसी को परियोजना का विवरण, इसकी लागत तथा वित्त-पोषण के तरीकों के लिए अनुशंसित वीसीए की मात्रा के बारे में लिखेगी। अधिसूचित वित्तीय संस्था यह भी बताएगी कि परियोजना कार्यान्वयन के लिए उद्यम पूंजी सहायता के कोषों की कब आवश्यकता होगी। एसएफएसी प्रस्ताव को निवेश समिति के सम्मुख रखेगा तथा परियोजना के लिए स्वीकृत वीसीए की मात्रा के बारे में अधिसुचित वित्तीय संस्था को सुचित करेगी।
- 9.5 परियोजनाओं की अहर्तता के निर्धारण में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता की स्थिति में अधिसूचित वित्तीय संस्था ऐसे मामलों को एसएफएसी की परियोजना विकास सुविधा (पीडीएफ), एसएफएसी के पास अग्रसरित कर सकता है जो ऐसे प्रस्तावों की जांच करेगा। इसमें स्थल भ्रमण भी शामिल हो सकता है। इसके बाद वह बैंक को 30 दिन के भीतर इस बारे में बताएगा।
- 9.6 अधिसूचित वित्तीय संस्था एसएफएसी को उन सभी नियम व शर्तों का पूरा विवरण सुलभ कराएगी जिनके अंतर्गत सावधिक ऋण स्वीकृत किया गया है इसमें ऋण की अदायगी के लिए निर्धारित पुर्नभुगतान सारणी सिम्मिलित होगी। पिरयोजना के प्रारंभ हो जाने के बाद, समय-समय पर पिरयोजना के कार्यान्वयन में होने वाली प्रगति के बारे में बैंक एसएफएसी को अवगत कराता रहेगा। अधिसूचित वित्तीय संस्था वार्षिक आधार पर एसएफएसी को अवगत कराता रहेगा। अधिसूचित वित्तीय संस्था वार्षिक आधार पर एसएफएसी को इकाई के कार्य निष्पादन के बारे में जानकारी देती रहेगी तथा पिरयोजना की कार्य प्रणाली में पायी गई किसी असंतोषजनक विशेषता के बारे में यथासमय एसएफएसी को सूचित करेगी। सावधिक ऋण के जारी रहने के दौरान एसएफएसी को कोई प्रभार देय नहीं होगा। सावधिक ऋण की अदायगी पूरी हो जाने के बाद, अधिसूचित वित्तीय संस्था एसएफएसी को उनके उद्यम पूंजी वित्त पोषण को एक पुर्नभुगतान योग्य ऋण में परिवर्तित करने की स्थिति के बारे में सलाह देगा करेगा जैसा कि एसएफएसी और प्रमोटर्स के बीच समझौते में उल्लेख हैं। ऋण के लंबित रहने के दौरान लाभार्थी के पास उपलब्ध प्राथिमक/ऋणाधार प्रतिभूतियों (एफडीआर सिहत) पर अधिसूचित वित्तीय संस्था का अधिकार होगा तथा वीसीए की एसएफएसी को पूरी राशि की वापसी तक इन प्रतिभूतियों (सिक्युरिटीज) को लाभार्थी या अन्य किसी संस्था के नाम पर जारी नहीं किया जा सकेगा।

- 9.8 In case of the failure of the project, the Notified Financial Institution may opt for a compromise settlement or resort to legal recourse for recovery of their dues as per the policy of the bank. While, the Notified Financial Institution will be free to take any such decisions without seeking the concurrence of SFAC, SFAC will be informed of any such decision taken to safeguard its interest.
- 9.9 The Notified Financial Institution will appoint a nodal officer for corresponding with SFAC in all matters relating to sanction and release of assistance under venture capital or for the preparation of DPR. The Notified Financial Institution may also provide SFAC with a list of its regional/ Zonal offices for forwarding proposals received by SFAC and its state functionaries/ state level SFAC's for their consideration.

# 10. RESPONSIBILITIES OF SFAC

- (a) SFAC's Project Development Facility (PDF) will maintain a pool of pre- qualified skilled consulting firms and individuals with specific skills to render services at low cost to entrepreneurs and to lending Notified Financial Institution. SFAC's PDF will address gaps if any in agribusiness enterprise skills in an active hand holding manner. SFAC will also look to take assistance of specialized agribusiness groups if some Notified Financial Institution have the capability to undertake PDF role in line with the PDF and Venture Capital Scheme.
- (b) SFAC's PDF is a generator of potential agribusiness projects which can attract investment that will benefit the rural community through increased employment and incomes which can be referred to the Notified Financial Institution.
- (c) SFAC may assign the services of agri business specialists from SFAC's PDF from time to time to associate with periodic progress evaluation of SFAC's VCA projects.
- (d) SFAC will forward proposals received from state level functionaries/ state level SFACs to the nodal officer of the Notified Financial Institution or regional/ zonal offices of the Notified Financial Institution for their consideration.
- (e) The PDF of SFAC will arrange to have DPR prepared by a consultant in its panel promptly on receipt of request from the Notified Financial Institution after satisfying about prefeasibility report.
- (f) SFAC will arrange to remit funds required for preparation of DPR under PDA immediately on receipt of request from the Notified Financial Institution in respect of cases directly referred to a consultant by them.
- (g) On receipt of communication from Notified Financial Institution giving details of the qualifying project for VCA, SFAC will place the proposal for VCA before its investment committee and communicate sanction to the Notified Financial Institution and the borrower SFAC will make VCA funds available for the project implementation through the Notified Financial Institution immediately on receipt of the communication from the Notified Financial Institution giving details of term loan/ working capital proposed to be sanctioned by them.



- 9.7 अधिसूचित वित्तीय संस्था सावधिक ऋण के परियोजना की प्रगति के अनुसार वितरण के बाद, एसएफएसी से वीसीए के रूप में प्राप्त राशि को एक अलग खाते में रखेगी तथा दस्तावेजों की औपचारिकताओं के पूरा होने पर ऋणी को एकमुश्त अथवा परियोजना की प्रगति के अनुसार ऋणी के मांगने पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जारी करेगी।
- 9.8 परियोजना के विफल हो जाने की स्थिति में, अधिसूचित वित्तीय संस्था अपनी नीति के अनुसार अपनी लेनदारी की वसूली के लिए या तो काई निपटान कर सकती है या कानूनी तरीकों का सहारा ले सकते हैं। अधिसूचित वित्तीय संस्था एसएफएसी की पूर्वनुमित के बिना ऐसा कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी, एसएफएसी को, उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, ऐसे निर्णय से सूचित कर दिया जाएगा।
- 9.9 उद्यम पूंजी के अंतर्गत सहायता की स्वीकृति के जारी करने अथवा डीपीआर की तैयारी के लिए एसएफएसी के साथ सभी मामलों हेतु होने वाले पत्राचार के लिए अधिसूचित वित्तीय संस्था एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगी। अधिसूचित वित्तीय संस्था एसएफएसी और इसके राज्यों के अधिकारियों, राज्य-स्तरीय एसएफएसी द्वारा विचारार्थ प्राप्त प्रस्तावों को अग्रसीत करने के लिए अपने क्षेत्रीय मंडल कार्यालयों की सूची भी एसएफएसी को सुलभ कराएगी।

# 10. एसएफएसी के उत्तरदायित्व

- (क) एसएफएसी की परियोजना विकास सुविधा (पीडीएफ) ऐसे पूर्व-योग्यता प्राप्त कुशल परामर्शक फर्मों और व्यक्तियों का एक निकाय रखेगा जिनके पास उद्यमियों व ऋणदाता अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं को कम मूल्य पर सेवाएं देने की विशिष्ट कुशलता होगी। एसएफएसी का पीडीएफ एक सक्रिय एवं विश्वस्त तरीके से कृषि व्यापार उद्यम की कुशलता में पाए जाने वाले अंतरों पर विशेष ध्यान देगा। यदि कुछ अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं के पास पीडीएफ व उद्यम पूंजी योजना की भांति पीडीएफ की भूमिका निभाने की क्षमता होगी तो एसएफएसी विशेषज्ञ कृषि व्यापार समूह की सहायता लेने का भी प्रयास करेगा।
- (ख) एसएफएसी का पीडीएफ कृषि व्यापार परियोजनाओं की सहायता करने का निकाय है जो निवेश को आकर्षित कर सकता है। ये निवेश रोजगार और आय में वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को लाभ पहुँचाएंगे तथा इन्हें अधिसूचित वित्तीय संस्था के पास अग्रेषित किया जा सकेगा।
- (ग) एसएफएसी अपनी वीसीए परियोजनाओं की प्रगति के मूल्यांकन के साथ जुड़ने के लिए समय-समय पर पीडीएफ से कृषि व्यापार विशेषज्ञों की सेवाएं ले सकती है।
- (घ) एसएफएसी अपने राज्यस्तरीय अधिकारियों/राज्य स्तरीय एसएफएसी से प्राप्त प्रस्तावों अधिसूचित वित्तीय संस्था के नोडल अधिकारी तथा अधिसूचित वित्तीय संस्था के क्षेत्रीय मंडल कार्यालयों को उनके विचारार्थ अग्रसरित करेगी।
- (ङ) पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट के बारे में आश्वस्त हो जाने के बाद अधिसूचित वित्तीय संस्था से अनुरोध की प्राप्ति पर एसएफएसी का पीडीएफ अपने सूचीबद्ध परामर्शक से डीपीआर तुरंत तैयार करवाने की व्यवस्था करेगी।
- (च) जो मामले सीधे ही अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा परामर्शक को भेजे जाएंगे उनके बारे में बैंक से अनुरोध की प्राप्ति के तुरंत बाद, पीडीएफ के अंतर्गत डीपीआर की तैयारी हेतु एसएफएसी के प्रतिप्रेषण की व्यवस्था करेगी।
- (छ) अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं से वीसीए के लिए अहर्तता प्राप्त परियोजना के बारे में विवरणों की प्राप्ति पर, एसएफएसी अपनी निवेश सिमिति के सम्मुख वीसीए के लिए प्रस्ताव को रखेगी तथा अधिसूचित वित्तीय संस्था व ऋणदाता को स्वीकृति की सूचना भेजेगी। अधिसूचित वित्तीय संस्था से सावधिक ऋण कार्यगत पूंजी की प्रस्तावित स्वीकृति के विवरण प्राप्त होने के तुरंत बाद, एसएफएसी परियोजना कार्यान्वयन के लिए वीसीए कोषों की अधिसूचित वित्तीय संस्था के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।



## 11. REPORTING AND EXCHANGE OF INFORMATION

With a view to minimize paper work and ensure that SFAC is provided with all relevant details of individual projects financed by the Notified Financial Institution with Venture Capital support provided by SFAC and also units assisted for preparation of DPR, and also progress in project implementation from time to time, the following reporting schedule will be observed.

# (a) Report on utilization of Venture Capital Assistance (VCA)/Project Development Assistance (PDA)

The Notified Financial Institution will report disbursement made by them in respect of VCA/PDA against funds received from SFAC every time a payment is made. In respect of VCA along with the report on utilization of funds, a report on progress in project implementation would also be sent to SFAC. Such periodical reporting will be sent to SFAC until the project is fully implemented and commercial operations are started. In respect of PDA, the Notified Financial Institution will report if after examining the DPR, a decision is taken by the Notified Financial Institution not to sanction term loan on assessment that the project is not viable.

#### (b) Report on the working of assisted units

The Notified Financial Institution will submit a report on the working of the units financed by them under VCA to SFAC on a half yearly basis indicating whether the operations are in line with the projections and whether the borrowers are adhering to repayment commitments.

#### (c) Reporting of exceptions

The Notified Financial Institution would also keep SFAC informed of any significant developments with regard to operation of the projects, its implementation and unsatisfactory features if any noticed by them. The Notified Financial Institution will also keep SFAC informed of any recovery action initiated by them in the event of failure of the unit to perform or inability of the borrowers to meet financial commitments.

#### (d) Project Specific Information

In addition to the above standard reporting by the Notified Financial Institution the Notified Financial Institution would also provide SFAC with project specific information, if any, sought by it from time to time.



# 11. सूचनाओं की रिपोर्ट भेजना तथा उनका आदान-प्रदान

कागजी कार्यवाही को कम करने तथा एसएफएसी द्वारा सुलभ कराई गई उद्यम पूंजी सहायता को अधिसूचित वित्तीय संस्था की वित्त-पोषित प्रत्येक परियोजनाओं से संबंधित विवरण एसएफएसी को सुलभ कराने, डीपीआर की तैयारी में सहायता करने वाली इकाइयों तथा समय-समय पर परियोजना कार्यान्वयन में प्रगति की पूरी जानकारी रखने के उद्देश्य से निम्नांकित रपट-प्रेषण का निर्धारण किया गया है:

(क) उद्यम पूंजी सहायता (बीसीए)/पिरयोजना विकास सहायता (पीडीए) के उपयोग की रिपोर्ट जब भी एसएफएसी से प्राप्त वीसीए/पीडीए के लिए राशि के संबंध में कोई भुगतान किया जाएगा, अधिसूचित वित्तीय संस्था ऐसे वितरण के बारे में सूचित करेगा। उद्यम पूंजी के संबंध में, कोषों के उपयोग की रिपोर्ट के साथ, पिरयोजना कार्यान्वय में प्रगति पर भी एक प्रतिवेदन एसएफएसी को भेजी जाएगी। पिरयोजना के संपूर्ण कार्यान्वयन तथा वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ हो जाने तक इसी प्रकार का एसएफएसी को आविधक रपट-प्रेषण जारी रहेगा। पीडीए के संबंध में, यदि डीपीआर की जांच के बाद अधिसूचित वित्तीय संस्था यह निर्णय लेती है कि पिरयोजना अव्यवहार्य होने के कारण साविधक ऋण की स्वीकृति न दी जाए तो इसके बारे में अधिसूचित वित्तीय संस्था प्रतिवेदन भेजेगी।

#### (ख) सहायता प्राप्त इकाईयों के कार्यकलापों पर रिपोर्ट

अधिसूचित वित्तीय संस्था उद्यम पूंजी के अन्तर्गत अपने द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के कार्यकलापों पर छमाही आधार पर एसएफएसी की रिपोर्ट भेजेगी जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि क्या पूर्व-निर्धारित योजनानुसार प्रचालन चल रहे हैं या नहीं तथा क्या ऋणदाता कृषि आदायगी की प्रतिबद्धता के अनुसार भुगतान कर रहे हैं या नहीं।

# (ग) अपवादों की सूचना देना

एसएफएसी को परियोजना के प्रचालन इसके क्रियान्वन के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण घटना तथा इसकी सूचना में पाई गई किसी असंतोषजनक पहलू के बारे में भी अवगत कराते रहेंगे। अधिसूचित वित्तीय संस्था इकाइयों की असफलता या कर्जदारों द्वारा अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफलता की स्थिति में अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा उठाए गए वसूली के किसी भी कदम के बारे में एसएफएसी को सूचित करती रहेगी।

# (घ) परियोजना से जुड़ी सूचना

बैंक उपर्युक्त मानक रिपोर्टिंग के अतिरिक्त एसएफएसी को समय-समय पर उसके द्वारा मांगे जाने पर किसी परियोजना के बारे में वांछित सूचना प्रदान करती रहेगी।



## 12. PARTIES NOTIFICATION

Each of the parties hereto shall promptly inform the other of any of the following events:

- (a) Any event of which such party becomes aware which, in the opinion of the party, is likely to interfere materially with, or seriously hinder or impair; the implementation of the project, or to interfere adversely and materially with the performance by:
  - (i) The borrower of its obligation under the Facility Agreement with such party.
  - (ii) The guarantor of its obligation under the guarantee given in favor of such party.
- (b) Any notice given by the borrower to prepay the whole or any part of the loan disbursed pursuant to the Agreement with such party and any amount thereof actually prepaid.
- (c) In certain circumstances it might become necessary for the Notified Financial Institution to call up the loan and initiate recovery proceeding against the borrower and guarantors if any. The Notified Financial Institution would take all such measures required to protect its interest as well as that of SFAC. While, it may not be considered prudent to consult SFAC before taking such action, SFAC will be informed of the action taken by the Notified Financial Institution at the earliest.

#### 13. WRITTEN CONSENT PRIOR TO AMENDMENT

SFAC and Notified Financial Institution shall not agree to any amendment that will affect the right or responsibilities of the other with regard to disbursement or procurement or that may affect the right to recover the money advanced as per the original authorization schedule without the prior written consent of the other.

## 14. PARTIES INDEPENDENT DECISIONS

Except as otherwise provided in this MOU, each party agrees that all its decisions, including decision to take or refrain from taking action concerning the project or a loan agreement to which it is a party, shall be based exclusively on its own judgment, independently of the information provided by, or excepted from, the other party or the views expressed by such other part.



# 12. पक्षों की अधिसूचना

दोनों ही पक्ष निम्नांकित स्थितियों में तत्काल एक दूसरे को सूचित करेंगे:

- (क) ऐसी कोई भी घटना जिसके बारे में किसी भी पक्ष को पता चला हो कि उस पक्ष के नजिरए में यह परियोजना के कार्यान्वयन में भौतिक रूप से हस्तक्षेप कर सकती है, या गंभीर रूप से रूकावट या हानि पहुँचा सकती है अथवा निम्नांकित के कार्यनिष्पादन पर विपरीत और वास्तविक असर डाल सकती है:
  - (i) उस पक्ष के साथ हुए सुविधा करार के अधीन वर्णित ऋण प्राप्तकर्त्ता की जिम्मेदारी।
  - (ii) उस पार्टी के पक्ष में दी गई गारंटी में दर्शाई गई गांरटीकर्त्ता की जिम्मेदारी।
- (ख) किसी पक्ष के साथ हुए करार द्वारा दिए गए ऋण के संपूर्ण भाग या अंश के पूर्व भुगतान के बारे में ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई सूचना तथा तद्नुसार पूर्व भुगतान की गई राशि।
- (ग) कुछ निश्चित परिस्थितियों में, अधिसूचित वित्तीय संस्था के लिए यह अनिवार्य हो सकता है कि वह ऋण वापस ले लें तथा ऋणदाता व गारंटीकर्त्ता, यदि हो तो, के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारंभ करें। अधिसूचित वित्तीय संस्था अपने तथा एसएफएसी दोनों ही पक्षों के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठा सकती है। यदिप कोई कदम उठाने के पूर्व एसएफएसी से मशिवरा लिए जाने की जरूरत नहीं है तथिपि बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में एसएफएसी को यथाशीन्न सूचित किया जाएगा।

# 13. संशोधन से पूर्व लिखित सहमति

एसएफएसी तथा अधिसूचित वित्तीय संस्था एक दूसरे से लिखित सहमति प्राप्त किए बिना, ऐसे किसी भी संशोधन जो किसी भी एक पक्ष के अधिकारों व उत्तरदायित्वों पर प्रभाव डालता हो अथवा जो मूल अधिकृत तालिका के अनुसार अग्रिम राशि की वसूली के अधिकार को प्रभावित करता है, को स्वीकार नहीं करेंगे।

# 14. दलों (पार्टियों) के स्वतंत्र निर्णय

इस समझौते के ज्ञापन (एमओयू) में यदि अन्यथा उल्लिखित न हो तो प्रत्येक पक्ष इस बात से सहमत है कि इसके सभी निर्णय, जिसमें परियोजना से संबंधित निर्णय अथवा एक ऋण करार जिसमें यह एक दल (पार्टी) है पर कार्रवाई करने या उसे नहीं करने का निर्णय भी सम्मिलित है, इसके अपने विवेक पर आधारित होगा जो अन्य पक्ष द्वारा प्रदत्त या उससे अपेक्षित सूचना या अन्य पक्ष द्वारा अभिव्यक्त दृष्टिकोण से स्वतंत्र होगा।



#### 15. ARBITRATION

In any case of dispute, if any, arising out of this MOU may be resolved through mutual consultation failing which it may be done by way of arbitration by a sole arbitrator chosen by the Notified Financial Institution and SFAC as per arbitration and conciliation Act, 1996 and venue of the Arbitration will be New Delhi.

#### 16. CHANNEL OF COMMUNICATION AND NOTICES

- (a) For the purpose of this MOU, the representative of the parties shall be:
  - i. For SFAC: Managing Director
  - For the Notified Financial Institution: Chief General Manager/ General Manager Agribusiness Group/ Priority Sector (to be indicated by the Notified Financial Institution)
- (b) Either party may, by notice in writing to the other party, designate additional representative/s or substitute other representative/s for those designated in this Article.
- (c) Any notice or other communication under MOU shall be in writing and shall be deemed to have been duly given or made when it has been delivered by hand, mail, e-mail, cable or tele fax, as the case may be, by either party to the other at the appropriate address specified below or such other address as either party may hereafter notify in writing to the other party:

#### For SFAC: Mailing Address:

NCUI Auditorium, Vth Floor, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi.

Telephone:	Fax:	E-mail:	_ E-mail:	
For the Notified Financ	cial Institution Mailing Addı	ress:		
Telephone:	Fax:	E-mail:		



# 15. पंच-निर्णय

इस समझौता ज्ञापन से उठे किसी विवाद की स्थिति में, परस्पर बातचीत से सुलझाए जा सकेंगे। इसमें विफल होने पर, मध्यस्थता तथा समझौता अधिनियम, 1996 के अनुसार अधिसूचित वित्तीय संस्था एवं एसएफएसी द्वारा चयनित एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाए जाएंगे तथा मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा।

# 16. संचार और सूचनाओं की प्रणाली

- (क) इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्य हेतु निम्नांकित पक्षों के प्रतिनिधि होंगे:
  - (i) एसएफएसी के लिए : प्रबंध निदेशक
  - (ii) अधिसूचित वित्तीय संस्था के लिए : मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक कृषि व्यापार समूह/प्राथिमकता क्षेत्र (अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा बताया जाना है।)
- (ख) कोई भी पक्ष इस धारा में मनोनीत किए जाने के लिए, अन्य पक्ष को लिखित सूचना देते हुए, अतिरिक्त प्रतिनिधियों या अन्य वैकल्पिक प्रतिनिधियों को पदनामित कर सकता है।
- (ग) समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत कोई सूचना अथवा संदेश लिखित में होगा तथा यह विधिवत् दिया हुआ माना जाएगा या व्यक्तिगत रूप से दिए जाने पर इसे दिया हुआ समझा जाएगा। मेल, ई-मेल, केवल, या टेली फैक्स, जैसी भी मामला हो, किसी भी पक्ष के द्वारा निम्नवत् विर्निष्ट उचित पते पर, जैसा कि अन्य पक्ष को लिखित में सूचित किया गया हो, भेजे जाएंगे:

एसएफएसी	के	लिए:	डाक	पता:
, , ,				

एनसीयूआई सभागार, पांचवां तल, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली।

टेलीफोन:	•••••	फैक्स:		ई-मेल:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
अधिसूचित	वित्तीय संस्था	के लिए डाक	पता:	•••••	•••••	
टेलीफोन•		फैक्स•		ई–मेल∙		



#### 17. FINAL PROVISIONS

- 1. The Memorandum of Understanding (MOU) shall come into force upon its signature by the authorized representatives of the parties hereto and far a term of 10 years.
- 2. The parties to this MOU shall before expiry of its term review the result achieved under this MOU and consult with each other with a view to deciding whether to extend the term of this MOU. Any extension of the term of this MOU, as aforesaid, may be affected through a simple exchange of letters between the parties.
- 3. The parties of this MOU may amend any of the provisions of this MOU or enter into supplementary arrangements designed to extend the scope of the present MOU.
- 4. Either party may terminate this MOU by giving not less than six (6) months advance notice, in writing, to the other party; provided that such termination shall become effective only on the date specified in the termination notice, and provided further that termination as aforesaid shall not, unless that parties otherwise agree, effect any non-cancelable commitments entered into under this MOU with a third party prior to the date of the termination notice. In the event of termination by either party, both parties shall co-operate to ensure that all arrangements made hereunder are settled in an orderly manner. In the event of the agreement being terminated the amount already sanctioned and released to the Notified Financial Institution will continue to be operated by the Notified Financial Institution as if this agreement was still operative.

The focal	points/contact persons under this MOU will be	or
the	in New Delhi	

For Notified Financial Institution CEO of the Notified Financial Institution Address: For Small Farmers' Agribusiness Consortium Managing Director Address:

Witness: (Name & Address)



# 17. अंतिम प्रावधान

- 1. समझौता ज्ञापन पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर प्रभावी हो जाएगा तथा 10 वर्ष की अविध के लिए प्रभावी होगा।
- 2. इस समझौता ज्ञापन के सभी पक्ष इसकी अविध समाप्ति से पूर्व इसके अन्तर्गत प्राप्त पिरणामों की समीक्षा करेंगे तथा इसके निर्णय हेतु परस्पर विचार-विमर्श करेंगे कि क्या समझौता ज्ञापन की अविध बढाई जाए या नहीं।
- 3. इस समझौता ज्ञापन के सभी पक्ष, समझौता ज्ञापन के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकते हैं तथा वर्तमान समझौता ज्ञापन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तैयार की गयी पूरक व्यवस्थाओं का प्रावधान कर सकते हैं।
- 4. कोई भी पक्ष, दूसरे पक्ष को लिखित में कम से कम 6 माह पूर्व सूचित करते हुए इस समझौता ज्ञापन को रद्द कर सकता है, किन्तु यह समापन उसी दिन से प्रभावी होगा जिस तिथि के बारे में समापन सूचना में निर्दिष्ट किया गया हो, तथा यह भी कि जब तक दोनों पक्ष प्रावधान न करें, अन्यथा उपरोक्तानुसार समापन से समापन सूचना की तारीख के पूर्व इस समझौता ज्ञापन के तहत किसी तीसरे पक्ष के साथ की गई कोई अस्थगनीय प्रतिबद्धता प्रभावित नहीं होगी। किसी पक्ष के द्वारा समापन किए जाने की स्थिति में दोनों पक्ष इसके तहत की गई व्यवस्थाओं का उचित रीति से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करेंगे। समझौता समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में अधिसूचित वित्तीय संस्था को पहले से ही प्रावधानित और प्रदत्त राशि का अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा इस तरह से प्रचालन किया जाता रहेगा जैसे कि समझौता अब भी क्रियाशील हो।

इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत मुख्य केन्द्र बिन्दु/सम्पर्क व्यक्ति-----होंगें। एतद् द्वारा-----को नई दिल्ली में अपने हस्ताक्षर करते हैं।

अधिसूचित वित्तीय संस्था के लिए अधिसूचित वित्तीय संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पता: लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के लिए प्रबंध निदेशक पता:

गवाह: (नाम व पता)





# AGREEMENT BETWEEN SFAC AND THE BORROWER

M/s, a Company incorporated under the Indian Companies Act 1956, having its place of business/Registered Office at, and factory/processing unit at, hereinafter called the "BORROWER" (which included his/her/its heirs, executors, administrations, successors and assignees) as first party & Small Farmers' Agribusiness Consortium (SFAC), a Society registered under Societies Registration Act 1860, having its Registered Officer at NCUI Auditorium Building, 5th Floor, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016 hereinafter called "SFAC" (which includes their assignees, attorneys and successors in title) as Second Party.
Whereas the first party is setting up

This agreement is executed on this...... day of Two thousand and (......20...) between

#### AND

Whereas in consideration of the above promises The First Party, ....... offered as security by way of equitable/registered mortgage on agricultural land and appurtenants/building thereto as required by SFAC as per details given in Annexure A and will also hypothecate movable assets like plant & machinery/vehicles/equipment/raw materials. etc., as per details given in Annexure B,



### एसएफएसी तथा ऋण प्राप्त कर्ता के बीच करारनामा

यह करारनामा दिनांक दिन वर्ष (20) को मध्य
मैसर्स, भारतीय कम्पनी एक्ट 1956
के अंतर्गत निगमित एक कम्पनी जिसका व्यापारिक स्थल/पंजीकृत कार्यालय
और निर्माणशाला/प्रसंस्करण इकाई/में हैं जिसको यहां पर "ऋण प्राप्तकर्ता" कहा गया है
(जिसमें उसका/उसकी/उसका वारिस, कार्यकारी, प्रशासक, उत्तराधिकारी नियत किया गया आदि सम्मिलित है) प्रथम
पक्षकार तथा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) जो सिमति पंजीयन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत
एक समिति है जिसका पंजीकृत कार्यालय, एनसीयूआई 'सभागार' भवन 5वां तल, 3 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली-110016 में है, के मध्य निष्पादित किया गया। यहां पर "एसएफएसी"
(जिसमें उसका नियतक आम मुख्तार/उत्तराधिकारी आदि सम्मिलित है) द्वितीय पक्षकार कहा गया है।
जबिक प्रथम पार्टीकी स्थापना कर रही है और उसे इसके लिए उद्यम पूंजी राशि
की जरूरत है जिसे ऋणदाता बैंक के सावधि ऋण की वसूली के पश्चात ऋण के तौर पर माना जाएगा जिसे
इसके बाद से बैंक कहा जाएगा (जिसमें इसके उत्तराधिकारी बैंक भी शामिल हैं)। उद्यम पूंजी सहायता राशि
को देय तिथि या उनके साविध ऋण की नियत अंतिम तारीख के पहले वापस करना होगा। प्रथम पार्टी के
आवेदन दिनांकके मार्फत प्राप्त हुआ है के अनुरोध
पर एसएफएसी ने इस पर विचार किया तथा प्रथम पार्टी को ₹लाख (रूपएमात्र) उद्यम
पूंजी राशि के तौर पर स्वीकृत किए हैं। प्रथम पार्टी अधिसूचित वित्तीय संस्था के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार
जो इस प्रकार हैएसएफएसी द्वारा स्वीकृत उद्यम पूंजी की राशि को अधिसूचित वित्तीय
संस्था के सावधि ऋण को पुनर्भुगतान के मूल समय-सारिणी अनुसार एक मुश्त रूप में वापस करेगा। ऋणी
इस उद्देश्य के लिए उद्यम पूंजी सहायता की राशि हेतु एक पोस्ट डेटेड चैक दिनांकप्रस्तुत
करेगा।

तथा

ऐसी अवस्था में उपरोक्त वादों पर विचार करते हुये प्रथम पक्ष, कृषि भूमि तथा अनुलग्न वस्तु/भवन पर इक्विटी योग्य/पंजीकृत बंधक एसएफएसी की आवश्यकतानुसार जैसा कि संलग्नक-। में विवरण दिया गया है, जमानत के रूप में देगा तथा चलसम्पत्ति जैसे कारखाना/मशीनें/वाहन/यंत्र/कच्चा माल आदि भी जैसा कि संलग्नक-॥ में and accepted by SFAC. The other terms and conditions as agreed upon between first party and SFAC are as follows:

- 1. The CEO of the Borrowing unit must be a professionally qualified person.
- 2. That the lending Notified Financial Institution will hold charge on the assets (movable/immovable) of the unit till full repayment of their term loan as per original prescribed schedule.
- 3. That the Venture Capital amount will automatically be deemed to be a loan from the date the Lending Bank has actually recovered its term loan or on the schedule end date of term loan, whichever is earlier. It may, however, be clarified that in the event of re-schedulement of the bank's term loan, the entrepreneur is required to refund the Venture Capital amount as per the original prescribed schedule because Venture Capital amount of SFAC is interest free and financial assistance is to be given to other eligible entrepreneurs for setting up of agribusiness projects. However, if lending Notified Financial Institution make SFAC a party while discussing possibility of rescheduling banks term loan, SFAC may consider request of the borrower for rescheduling of VCA on case to case basis.
- 4. That Borrower has the option to refund the Venture Capital amount granted by SFAC even prior to the due date of repayment of Term Loan.
- 5. That the deemed loan of SFAC as referred to above will remain secured by creation of charge (mortgage & hypothecation) in favour of SFAC on the project assets previously held by the Lending Notified Financial Institution and till such times as the deemed loan and interest accrued thereon are entirely refunded to SFAC.
- 6. That the Borrower hereby undertakes to utilize the Venture Capital amount granted by SFAC for the purpose for which it was granted. In the event of diversion/misutilization, SFAC reserves the right to recall the entire amount of Venture Capital in lump sum.
- 7. That in case the Borrower is unable to repay the Venture Capital amount in lump sum immediately after repayment of Notified Financial Institutions Term Loan, it will have option to repay the entire amount of loan together with accrued amount of interest in 4 quarterly installments within a year. The rate of interest in this regard will be the same as charged by the lending bank on its term loan.
- 8. That the Borrower will also authorize the Lending Notified Financial Institution at the time of executing this agreement to debit their account, i.e. Cash Credit Account/Current Account No..... with......, after repayment of Notified Financial Institution term loan equivalent to the refundable amount or any other incidental expenses. The borrower also undertakes to ensure substantial balance in their account in order to facilitate the refund of SFAC's loan and other incidental expenses. Alternatively, the borrower can directly refund the Venture Capital amount and other incidental expenses by means of demand draft drawn in favour of "Small Farmers' agribusiness Consortium" payable at New Delhi.
- 9. The borrower fully understands and acknowledges that the Venture Capital provided by SFAC is based upon appraisal note, sanction letter for the term loan by the Notified Financial Institution specifically on the terms and conditions and assets verified by the Notified Financial Institution as securities for the term loan and, therefore, expressly undertakes not to change the Notified Financial Institution indicated herein during the pendency of the SFAC's Venture Capital. However, in exceptional cases one time change of bank is allowed by SFAC. The borrower also undertakes not to withdraw the securities from the Notified Financial Institution until and unless the Venture Capital amount is refunded to SFAC.

विवरण दिया गया है को बतौर जमानत देगा व एसएफएसी सभी को उसी प्रकार स्वीकार करेगी। अन्य सीमायें व शर्ते प्रथम पक्ष तथा एसएफएसी के बीच सहमित पर निम्न इस प्रकार है:

- 1. ऋण लेने वाली संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यवसायिक रूप से शिक्षित व्यक्ति होना आवश्यक है।
- 2. यह कि उधार देने वाली अधिसूचित वित्तीय संस्था प्रथम पक्ष की सम्पत्ति पर तब तक अधिकार रखेगी जब तक उसके आविधक ऋण का पूरा भुगतान दी गई मूल सूची के अनुसार नहीं हो जाता।
- 3. यह कि उद्यम पूंजी सहायता उस तारीख से स्वत: ही ऋण समझा जायेगा जिस तिथि पर ऋण देने वाली बैंक अपना आविधिक ऋण वास्तव में वसूल कर लेगी अथवा पहले से तय अन्तिम तारीख पर, इनमें जो भी पहले हो तथापि यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि बैंक के साविधिक ऋण में समय संबंधी फेरबदल की स्थिति में, उद्यमी को उद्यम पूंजी राशि की वापसी पूर्वनिर्धारित समय योजना के अनुसार ही करनी होगी क्योंकि एसएफएसी प्रदत्त उद्यम पूंजी राशि ब्याज मुक्त होती है तथा अन्य नई उद्यमियों को भी कृषि व्यापार परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता होती है। तथापि, यदि ऋणदाता अधिसूचित वित्तीय संस्था बैंक के साविध ऋण की समय-सारिणी में परिवर्तन की संभावना पर विचार विमर्श के लिए एसएफएसी को एक पक्ष बनाती हैं तो ऐसी स्थिति में एसएफएसी प्रत्येक मामले में वीसीए की समय-सारिणी में परिवर्तन के लिए ऋणी या कर्जदार के अनुरोध पर विचार कर सकती है।
- 4. यह कि ऋण लेने वाला (ऋणी) आविधक ऋण वापसी के निश्चित तारीख से पहले भी एसएफएसी द्वारा प्रदत्त हिस्सा राशि वापस करने का अधिकार रखता है।
- 5. यह िक उपरोक्तानुसार एसएफएसी का माना गया ऋण एसएफएसी के पक्ष में पिरयोजना संपित्तयों का प्रभार सृजन (बंधन एवं गिरवी) के माध्यम से संरक्षित रहेगा जो िक पहले ऋणदाता अधिसूचित वित्तीय संस्था के अधीन था तथा तब तक संरक्षित रहेगा जबतक िक एसएफएसी को माने गए ऋण की राशि तथा उसपर उद्भूत ब्याज पूरी तरह वापस नहीं कर दिया जाता है।
- 6. यह कि ऋण लेने वाला, उद्यम पूंजी राशि जो एसएफएसी द्वारा दी गई है का उपयोग उस उद्देश्य के लिये करने को एतद्द्वारा वचनबद्ध है जिसकी अनुमित दी गई थी। ऋण के अन्य मद में खर्च करने/गलत उपयोग करने की दशा में, एसएफएसी को उद्यम पूंजी सहायता की कुल धनराशि एक मुश्त वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।
- 7. यह कि यदि उधार लेने वाला प्रथम पक्ष, बैंक के आवधिक ऋण वापसी के बाद, उद्यम पूंजी की धनराशि तुरंत एकमुश्त वापस करने में अक्षम रहता है तो ब्याज से बढ़ी हुई धनराशि के साथ सम्पूर्ण ऋण एक वर्ष के अन्दर 4 किस्तों में भुगतान का विकल्प होगा। इस दशा में ब्याज दर उधार देने वाली बैंक द्वारा इस सावधिक ऋण पर लगाई गई दर के समान होगी।
- 9. ऋण प्राप्तकर्त्ता पूरी तरह से समझता और स्वीकार करता है कि एसएफएसी द्वारा प्रदत्त उद्यम पूंजी अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा दिए गए मूल्यांकन टिप्पणी हेतु विशेषतौर पर नियमों एवं शर्तों के अधीन साविधक ऋण हेतु अनुमोदन पत्र तथा साविधक ऋण के लिए प्रतिभूति योग्य पिरसंपित्तयों का अधिसूचित वित्तीय संस्था द्वारा सत्यापन पर आधारित है और इसीलिए प्रकट तौर पर जिम्मेदारी लेता है कि एसएफएसी के उद्यम

- 10. That the Borrower hereby declares and confirms that the status of the securities and their possession, maintenance, coverage of insurance etc. will remain in force, as was the case with in the lending Notified Financial Institution.
- 11. That the Borrower must submit their audited Balance Sheet/Financial Statement along with a confirmatory letter every year (i.e. Balance sheet date) about the outstanding amount of Venture Capital in their book which is refundable after repayment of the Notified Financial Institution term loan.
- 12. That as per objectives of SFAC, small farmers are to be ultimate beneficiaries of the Venture Capital scheme. Therefore, it will be obligatory on the part of the first party to ensure establishment of backward linkages with the farmers and in the event of failure to have such linkages with the farmers, SFAC may cancel the loan arrangement and ask first party to refund the entire amount of Venture Capital in lump sum within a period of one month after receipt of such decision from SFAC.
- 13. That the Borrower agree and undertake that a suitable provision equivalent to proportionate refundable amount will be made every year and invest the same in liquid assets in order to facilitate refund of amount of Venture Capital to SFAC in lump sum.
- 14. Further, the Borrower also undertake to follow the under noted terms and conditions:
  - (i) To pay all taxes, rents etc. regularly and in the time in order to keep the hypothecated and mortgaged assets free from distress, attachment, sale, etc.
  - (ii) Not to create any charge by way of mortgage, pledge, hypothecation, sell or dispose off in any manner the movable/immovable properties referred to in the Annexures.
  - (iii) To keep SFAC indemnified at all times for the losses caused to it on account of negligence of Borrower.
  - (iv) To execute any other document or furnish information as and when required by SFAC.
  - (v) To ensure that after the repayment of the term loan, the beneficiary will continue to comprehensively ensure the movable and immovable assets being charged to SFAC with SFAC Clause and hand over the same to SFAC till refund of the amount of Venture Capital amount.
  - (vi) In the event of any incident, the Borrower shall file the claim with the respective insurance company and keep SFAC posted about the receipt of claim amount and damages etc.
  - (vii) The Borrower undertake to ensure that the permits, licenses are renewed timely and kept intact.
- 15. That in the event of the Borrower failing to pay the balance or any other money due to the SFAC by virtue of this agreement or if for any reason the SFAC thinks that its interest is in jeopardy, the SFAC reserves the right to dispose of all the securities either hypothecated or mortgaged in order to recover its dues without intervention of Court.
- 16. That the Officers or nominees of the SFAC, shall have free access to business premises in order to ascertain the actual status of the securities hypothecated/mortgaged assets to the lending Notified Financial Institution/SFAC and to take possession if warranted for the purpose of acquiring/selling of any of the hypothecated/mortgaged assets by public auction without

पूंजी के लंबित होने के दौरान उसके द्वारा यहां उल्लिखित अधिसूचित वित्तीय संस्था बदला नहीं जाएगा। तथापि, विशेष मामलों में एसएफएसी द्वारा सिर्फ एक बार बैंक बदलने की अनुमित दी जा सकती है। ऋण प्राप्तकर्ता इसके लिए भी वचनबद्ध है कि जबतक एसएफएसी को उद्यम पूंजी राशि वापस नहीं कर दी जाती है तब तक अधिसूचित वित्तीय संस्था से अपनी प्रतिभूतियां वापस नहीं लेगा।

- 10. यह िक ऋण प्राप्तकर्ता एतद्द्वारा घोषणा तथा प्रमाणित करता है िक आरक्षित राशि की वस्तु स्थिति तथा उनकी सम्पत्ति, जीविका, बीमा आच्छादित आदि पर भी वही रहेगा जैसा उधार देने वाली अधिसूचित वित्तीय संस्था के साथ हुआ था।
- 11. यह िक ऋण प्राप्तकर्ता प्रत्येक वर्ष (तुलन-पत्र तिथि) एसएफएसी को वार्षिक अंकेक्षण, वित्तीय प्रतिवेदन के साथ उसके खाते में उद्यम पूंजी की बकाया राशि के संबंध में पुष्टिकारी पत्र प्रस्तुत करेगा जो िक अधिसूचित वित्तीय संस्था के साविधक ऋण भुगतान के बाद लौटाया जाना है।
- 12. यह कि एसएफएसी के उद्देश्यों के अनुसार, उद्यम पूंजी योजना के अंतिम लाभार्थी लघु कृषक है इसिलये प्रथम पक्ष को यह आवश्यक होगा कि किसानों से निचले स्तर तक सम्बन्ध स्थापित करना सुनिश्चित हो तथा किसान से सम्बन्ध स्थापित करने में असफल रहने की दशा में, एसएफएसी अपना करारनामा निरस्त कर सकती है तथा एसएफएसी के इस निर्णय के एक माह के अंदर उद्यम पूंजी की सम्पूर्ण धन राशि को एकमश्त प्रथम पक्ष से वापस लिया जायेगा।
- 13. यह कि ऋण प्राप्त कर्ता सहमत है तथा वचन देता है कि प्रत्येक वर्ष वापसी योग्य धनराशि की आनुपातिक मात्रा के बराबर उपयुक्त प्रावधान किए जायेंगे तथा उद्यम पूंजी की धनराशि को एकमुश्त एसएफएसी को वापस करने के लिये इसका तरल पिरसंपित्तयों में निवेश किया जाएगा।
- 14. आगे, ऋण प्राप्तकर्ता निम्नलिखित नियम तथा शर्तो को भी मानने का वचन देता है:
  - (i) दृष्टिबंधक परिसम्पत्तियों तथा बंधक परिसम्पत्तियां जो आपत्ति रहित, कुर्की तथा बिक्री आदि से मुक्त हो की सुरक्षा के लिये समस्त कर, (टैक्स) किराये आदि नियमित तथा समय से भुगतान करेगा।
  - (ii) संलग्नकों में संदर्भित चल/अचल सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का बंधक/गिरवी, दृष्टिबंधक, बिक्री अथवा निपटान के रूप में वह कोई अधिभार सुजन नहीं होगा।
  - (iii) ऋण प्राप्तकर्ता की भूल-चूक के कारण होने वाली हानियों के लिए एसएफएसी हर समय क्षतिपूर्ति (हर्जाना) रखेगी।
  - (iv) प्रथम पक्ष द्वारा ऐसा कोई अन्य दस्तावेज का निष्पादन अथवा सूचनायें, जो भी तथा जब भी एसएफएसी की आवश्यकता हो देनी होगी।
  - (v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सावधिक ऋण के भुगतान के पश्चात लाभार्थी एसएफएसी क्लाज सिंहत उसे प्रभारित चल एवं अचल संपित्तयों की सुनिश्चितता को जारी रखेगा तथा उन्हें उद्यम पूंजी सहायता की राशि की वसूली तक एसएफएसी को सौपेंगा।
  - (vi) किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, ऋण प्राप्त कर्ता, संबंधित बीमा कम्पनी पर दावा दाखिल करेगी तथा दावा की गई धनराशि की प्राप्ति एवं क्षति के बारे में एसएफएसी को सूचित करेगा।
  - (vii) ऋण प्राप्त कर्ता यह भी वचन देगा, कि अनुज्ञप्त, अनुज्ञा (लाइसेंस) का नवीनीकरण समय से होगा तथा सुरक्षित रखा जायेगा।
- 15. यह िक इस करारनामे के आधार पर एसएफएसी की शेष धनराशि या अन्य ऋण राशि को ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा अदा करने में असफल होने की दशा में अथवा यदि एसएफएसी को लगता है िक अन्य कोई कारण से उसका हित खतरे में है, तो एसएफएसी का यह अधिकार सुरक्षित है िक वह समस्त जमानतें चाहे वह दृष्टिबंधक हो या बन्धक, का निपटान करके अपने ऋण को वसूल करें।
- 16. यह कि एसएफएसी का अधिकारी, नामित व्यक्ति की व्यावसायिक परिसर में बेरोकटोक पहुंच होगी ताकि ऋणदाता अधिसूचित वित्तीय संस्था के पास जमानत/गिरवी के रूप में रखी गई संपत्तियों की वास्तविक स्थिति

intervention of Court and appropriate the net proceed towards liquidation of all sums due from the Borrower. The Borrower hereby agrees to accept that on account of any such sale realization and in case of shortfall, undertake to pay such further balance as may be due from the Borrower forthwith. Any cost incurred by SFAC for realization of its money by sale of hypothecated and mortgaged assets will be added to the outstanding liability of loan amount of SFAC and will be recoverable from Borrower.

- 17. The borrower also understands and agrees not to neglect or refuse any of the obligation towards furnishing documents required for monitoring the progress of the project, change of Notified Financial Institution or otherwise shifting the location and the assets acquired for the projects and more particularly towards repayment of the amount of Venture Capital, SFAC will proceed to recover the amount due as if it were an arrears of land revenue.
- 18. That the Borrower hereby declares that the contents of this agreement have been read and understood by him and he will abide by the terms and conditions of this agreement.
- 19. That the Borrower shall not remove or dismantle any of the goods/assets as mentioned in Annexures without the written consent of the SFAC.

That in the event of any dispute arising between the parties only Delhi Courts have jurisdiction to try, entertain and decide the said matter.

In Witness of above both parties have executed this agreement on this..... day of ..... Two Thousand .......(......201..).

For and on behalf of SFAC:	Borrower:	
()	()	
(Name & Designation)	(Name & Designation)	
()	()	
Witness Signature	Witness Signature	



का आकलन कर सके तथा यदि अधिकृत हो तो न्यायालय की दखलंदाजी के बिना सार्वजिनक नीलामी के द्वारा सकल प्राप्ति को ऋण प्राप्तकर्ता के ऊपर समस्त बकाया के निपटारा हेतु विनियोजित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऋण प्राप्तकर्ता एतद् द्वारा स्वीकार करने के लिए तैयार है कि इस प्रकार किसी बिक्री द्वारा वसूली के कारण और कमी रह जाने की स्थिति में इसके पश्चात ऋण प्राप्तकर्ता के ऊपर जो बकाया शेष होगा उसका भुगतान करने के लिए बचनबद्ध है। जमानती एवं बंधक परिसंपत्तियों की बिक्री द्वारा अपने धन की उगाही में एसएफएसी द्वारा किया गया खर्च एसएफएसी के कर्ज राशि की बकाया मात्रा में जोड़ा जाएगा तथा ऋण प्राप्तकर्ता से वसूल किए जाने योग्य होगा।

- 17. ऋण प्राप्तकर्त्ता यह भी समझता है और इसके लिए सहमत है कि पिरयोजना की प्रगित की निगरानी हेतु आवश्यक, अधिसूचित वित्तीय संस्था में पिरवर्तन या अवस्थिति (पिरसर) का अन्यत्र स्थानांतरण संबंधी तथा पिरयोजना हेतु अधिग्रहीत पिरसंपित्तयां संबंधी तथा खास तौर पर उद्यम पूंजी की राशि की वापसी से संबंधित दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी में कोताही नहीं बरतेगा या मना नहीं करेगा। बकाया राशि की वसूली एसएफएसी इस प्रकार करेगा जैसे वह भू-राजस्व का बकाया है।
- 18. यह कि ऋण प्राप्तकर्ता इसके द्वारा घोषणा करता है कि इस करारनामा के विषयों को उसने पढ़ लिया एवं समझ लिया है तथा वह इस करारनामें की शर्तों को मानेगा।
- 19. यह कि ऋण प्राप्त कर्ता एसएफएसी की बिना लिखित सहमित के कोई सामान, सम्पत्तियाँ जो संलग्नक में उल्लेखित है को नहीं हटायेगा अथवा बेचेगा।

यह कि विभिन्न पक्षों के बीच किसी विवाद की स्थित में सिर्फ दिल्ली स्थित न्यायालयों को इसे सुनने, विचार करने तथा निर्णय देने का अधिकार होगा।

साक्ष्य	है,	उपरोक्त	दोनों	पक्षों	ने	यह	करारनामा	दिनांक	•••••	दो	हजार
				(20	01	) को	निष्पादित	किया।			

एसएफएसी हेतु और उसके लिये:	ऋण प्राप्त कर्ताः
()	()
(नाम एवं पद)	(नाम एवं पद)
()	()
साक्षी के हस्ताक्षर	साक्षी के हस्ताक्षर





# SCHEDULE - A Annexure - I

### **Fixed Assets**

SI. No.	Particulars/Extent	Nature of Property	Location and Boundaries	Approximate Value



# अनुसूची -A

# संलग्नक −|

# अचल सम्पत्तियाँ

क्रम संख्या	विवरण/सीमा	सम्पत्ति की प्रकृति	स्थिति तथा परिसीमार्ये	अनुमानित मूल्य



# SCHEDULE - B Annexure - II Moveable Assets

SI. No.	Particulars/Extent	Location and Boundaries	Approximate Value



# अनुसूची – B संलग्नक –II

# चल सम्पत्तियाँ

क्रम संख्या	विवरण/सीमा	स्थिति तथा परिसीमार्ये	अनुमानित मूल्य

### FORM GFR 19 - A

### (See Government of India's Decision (1) below Rule 15)

### FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE

SI. No.	Letter No. and date	Amount	Certified that out of the sum of ₹ of Venture Capital assistance sanctioned during the year in favour of
1.			under this Ministry/ Department letter Nogiven in the margin and ₹ on account of unspent balance of the previous
2.			year, a sum of ₹ has been utilized for the prupose of for which it was sanctioned and that the balance of ₹ remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to the
	Total		Government (Vide No dated)/will be adjusted towards the Venture Capital assistance payable during the next year or utilized in the next financial year.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the Venture Capital assistance wing d.

was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfi checks to see that the money was actually utilized for	
Kinds of checks exercised	
1.	
2.	
3.	
	Signature
	(Name)
	Designation
	(Office seal)
Verified and certified by	

**Chartered Accountant** (with address and seal)

### प्रपत्र जीएफआर 19-ए

### (भारत सरकार के नियम 15 निर्णय (1) के नीचे देखें) उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

क्रम संख्या	पत्र संख्या व दिनांक	राशि	प्रमाणित किया जाता है कि मार्जिन में दर्शाए गए इस मंत्रालय/विभाग के पत्रांकके अन्तर्गतके
1.			के पक्ष में वर्ष के दौरान स्वीकृत उद्यम पूंजी सहायता की स्वीकृत राशि कोके उद्देश्य से काम में ले लिया गया है जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा वर्ष
2.			के अंत में शेष इस्तेमाल न की गई ₹की राशि को सरकार को (पत्रांक
	योग:		दिनांक है, आगामी वर्ष के दौरान भुगतान योग्य उद्यम पूंजी सहायता के अन्तर्गत समायोजित कर दिया जाएगा अथवा आगामी वित्तीय वर्ष में इस्तेमाल कर लिया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने स्वंय को संतुष्ट कर लिया है कि शर्ते जिनके आधार पर वीसीए स्वीकृत किया गया था विधिवत परी कर दी गयी है/परी की जा रही हैं तथा जिस उददेश्य के लिए पदान की गयी थी उस

गया था, ।वाधवत् पूरा कर दा गया हरपूरा का जा रहा ह त उद्देश्य के लिए राशि के इस्तेमाल करने की जाँच के लिए,	
उपयोग में लाए गए उपाय	
1.	
2.	
3.	
	हस्ताक्षर
	(नाम)
	पदनाम
	(कार्यालय की मोहर)
uferent a normani	

पुष्टिकत्ती व प्रमाणकत्ती

चार्टर्ड एकाउंटेंट (पता व मोहर सहित)

# Notes/टिप्पणियां



भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग)



### लघु कृषक कृषि व्यापार संघ

एन.सी.यू.आई. ऑडिटोरीअम बिल्डिंग, पांचवा तल अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली–110016 दूरभाषः 011–26862365, ईपीबीएक्सः 011–26966017, 26966037

ईमेल: sfac@nic.in | वेबसाइट: www.sfacindia.com